अ॰सू॰-05

बिहार विधान सभा में श्री ललित कुमार यादव, माननीय स॰वि॰स॰ द्वारा पूछे जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–03		श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा, माननीय शिक्षा मंत्री का उत्तर
(क)	क्या यह सही है कि राज्य के 10 विश्वविद्यालयों के 222 संबद्ध डिग्री कॉलेजों द्वारा स्वीकृत सीटों से 2 गुना अधिक छात्रों के नामांकन/परीक्षा में शामिल कराकर घोटाला किया गया है, जो अनुदान का दावा करने वाले डिग्री कॉलेजों के प्रस्ताव की जांच से उजागर हुआ है;	उत्तर अस्वीकारात्मक है।
(ख)	क्या यह सही है कि राज्य में बड़ी संख्या में ऐसे कॉलेज है, जहाँ अस्थाई संबंधन या बिना संबंधन के हजारों छात्रों का नामांकन किया गया है तथा परीक्षा पास कराकर अनुदान का दावा सरकार से किया है;	वस्तुस्थिति यह है कि जिन डिग्री महाविद्यालयों को राज्य सरकार से संबद्धता प्राप्त है, उन्हीं महाविद्यालयों को अनुदान की राशि स्वीकृत/विमुक्त की जाती है। अनुदान की राशि स्वीकृत करने हेतु डिग्री महाविद्यालयों के साथ समीक्षा बैठक आहुत करने हेतु सभी विश्वविद्यालयों को विभागीय पत्रांक–1968 दिनांक 20.11.19 द्वारा पत्र प्रेषित किया गया है, जिसके आलोक में दिनांक 29.11.19 से दिनांक 12.12.19 तक समीक्षा करने का कार्यक्रम है।
(ग)	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार गलत अनुदान का दावा करने वाले वैसे डिग्री कॉलेजों के विरूद्ध कौन–सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नही तो क्यों?	खण्ड 'ख' में वर्णित समीक्षा कार्यक्रम के उपरान्त सरकार द्वारा नियमानुकूल निर्णय लिया जायेगा।

25/11/19

उप सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार

बिहार सरकार,
शिक्षा विभाग

ज्ञापांक:–14/वि.को./अ॰सू॰/18/19 – 2013 पटना, दिनांक 25/11/2019

प्रतिलिपि:–प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय के पत्रांक 3442 दिनांक 21.11.2019 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:–प्रशाखा–01, शिक्षा विभाग/आई॰टी॰ मैनेजर, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

25/11/19

उप सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार

ता०-72

डॉ0 विनोद प्रसाद यादव, माननीय स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–शिक्षा–14		श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार।
प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री शिक्षा (माध्यमिक शिक्षा) विभाग, यह बतलाने की कृपा करगें कि :–		
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य के 10+2 विद्यालयों में आधारभूत संरचना का निर्माण नहीं होने से छात्र–छात्राओं को पठन–पाठन में कठिनाई होती है;	आंशिक स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि सहदेव उच्च विद्यालय सुग्गी एवं +2 प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय शेरघाटी में क्रमशः 04 एवं 05 वर्ग कक्ष उपलब्ध है।
2.	क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत आमस प्रखण्ड में सहदेव उच्च विद्यालय सुग्गी एवं शेरघाटी प्रखण्ड के प्रोजेक्ट कन्या +2 उच्च विद्यालय में छात्र–छात्राओं की संख्या अधिक है, परन्तु आधारभूत संरचना के निर्माण नहीं होने से शिक्षा ग्रहण करने में कठिनाईयों का सामना कराना पड़ता है;	वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय पत्रांक–2090 दिनांक–21.11.2019 द्वारा प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लि0, पटना को प्रश्नगत विद्यालयों का स्थलीय निरीक्षण कर विद्यालय में आवश्यक आधारभूत संरचना निर्माण हेतु प्राक्कलन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है। प्राक्कलन प्राप्त होने के उपरांत अनुवर्ती कार्रवाई की जायेगी।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार राज्य में स्थापित उच्च विद्यालयों सहित खण्ड दो में वर्णित +2 उच्च विद्यालयों में आधारभूत संरचना का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यो ?	

22/11/19

उप सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 11/वि०स० 5–180/2019–2106 पटना, दिनांक 22.11.2019

प्रतिलिपि :– प्रशाखा पदाधिकारी, बि०वि०स० (के ज्ञाप सं० प्र०–3348 दिनांक–13.11.2019 के आलोक में)/उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22/11/19

उप सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ता॰ 4875

श्री सरोज यादव, स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–शिक्षा–48			श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार
प्रश्न			उत्तर
क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–			
(1)	क्या यह बात सही है कि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (मध्याह्न भोजन योजना) भोजपुर के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में गलत प्रति शपथपत्र दायर करने के कारण बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पत्रांक–एल0पी0–85 दिनांक 14.01.19 द्वारा उनके विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर निदेशक माध्यमिक शिक्षा, बिहार को अनुशासनिक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त पदाधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?		स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत मामले में सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में श्री महेन्द्र पोद्दार, तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी, रोहतास सम्प्रति अवकाश रक्षित पदाधिकारी (मुख्यालय) तथा श्री रामाधार शर्मा, तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (मध्याह्न भोजन योजना) भोजपुर सम्प्रति जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (भोजपुर) के विरूद्ध प्रपत्र–'क' में गठित आरोपों पर अनुशासनिक कार्रवाई हेतु सक्षम प्राधिकार निदेशक (प्रशासन)–सह–अपर सचिव, शिक्षा विभाग को भेजी गयी थी। उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक–704 एवं 703 दिनांक–21.11.19 के द्वारा संबंधित पदाधिकारियों से समय सीमा एक पक्ष निर्धारित कर स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है।

25/11/19
उप सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–वि0म0को0 / प्र0–18 / 2019.2560 पटना, दिनांक–25/11/2019

प्रतिलिपि–प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा, सचिवालय को उनके ज्ञाप संख्या–3409 दिनांक–18.11.19 / संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना / प्रशाखा पदाधिकारी–01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

25/11/19
उप सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

NT-10877 (5)

श्री अजीत शर्मा, माननीय स० वि० स० द्वारा पृच्छित तारांकित प्रश्न संख्या शिक्षा–37

	प्रश्न क्या मंत्री, शिक्षा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगें कि :–	उत्तर श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग द्वारा दिया जाने वाला उत्तर :–
(1)	क्या यह बात सही है कि भागलपुर नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत वार्ड नं0–33 में स्थित उर्दू मध्य विद्यालय, बरेहपुरा एवं वार्ड नं0–07 में स्थित उर्दू मध्य विद्यालय, हसनावाद की भवन निर्माण की योजना की स्वीकृति 3 वर्ष पूर्व मिली थी, लेकिन उक्त उर्दू विद्यालयों का भवन निर्माण नहीं हुआ है जिसके कारण उर्दू छात्र/छात्राओं को पठन–पाठन में कठिनाई होती है, यदि हाँ तो सरकार कबतक उक्त विद्यालयों का भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	आंशिक स्वीकारात्मक बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम (MSDP) के तहत उर्दू मध्य विद्यालय बरेहपुरा (बालक) वार्ड नं०–33 में राज्य कार्यालय के पत्रांक 6774 दिनांक 26.11.2018 के तहत 8 कमरे का भवन निर्माण की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। विद्यालय परिसर में भवन निर्माण हेतु परती भूमि नहीं है। परिसर में 3 कमरे का पूर्व निर्मित भवन अत्यंत ही जर्जर है। जर्जर भवन को हटाने का आदेश कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, भागलपुर द्वारा अपने पत्रांक 1736 दिनांक 24.04.2019 द्वारा दिया गया है। वर्त्तमान में जर्जर भवन को हटाया जा रहा है। भवन निर्माण कार्य 6 माह में पूर्ण कर लिया जाएगा। उर्दू मध्य विद्यालय हसनाबाद वार्ड नं०–7 में भवन निर्माण का कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं है। प्राक्कलन प्राप्त कर भवन निर्माण कार्य की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

उप सचिव
शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक 06/वि० 01–93/2019....1356..../ पटना, दिनांक 25/11/19

प्रतिलिपि :– प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उप सचिव
शिक्षा विभाग।

ता. - 80

श्री तार किशोर प्रसाद, माननीय स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–शिक्षा–38	श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार।
प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री शिक्षा (माध्यमिक शिक्षा) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेगें कि :–	
क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के कटिहार सदर प्रखण्ड के दलन पूरब पंचायत एवं हसनगंज प्रखण्ड के कालसर पंचायत में उच्च विद्यालय नहीं रहने से छात्र एवं छात्राओं को पठन–पाठन में कठिनाई होती है, यदि हाँ तो सरकार कबतक उक्त पंचायत में स्थित एक–एक मध्य विद्यालय को उच्च विद्यालय में उत्क्रमित करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय संकल्प संख्या–1021 दिनांक–05.07.2013 के द्वारा राज्य सरकार का यह निर्णय संसूचित है कि सभी पंचायतों को एक–एक उच्च माध्यमिक विद्यालय से आच्छादित किया जाएगा। भूमि संबंधित निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप भूमि की अनुपलब्धता के कारण वर्तमान में 2950 पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना नहीं की जा सकी है। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत इन पंचायतों में चिन्हित मध्य विद्यालयों में वर्ग–9 का संचालन अप्रैल 2020 से प्रारंभ करने की योजना पर विभाग कार्य कर रहा है। इसके तहत राज्य के सभी वैसे माध्यमिक विद्यालय विहिन पंचायतों का सर्वेक्षण कर मध्य विद्यालय को चिन्हित करने की कार्रवाई के तहत कटिहार सदर प्रखण्ड के दलन पूरब पंचायत एवं हसनगंज प्रखण्ड के कालसर पंचायत में क्रमशः उत्क्रमित विद्यालय सिरसा एवं उत्क्रमित मध्य विद्यालय देवनाथपुर थेगुआ को दिनांक–01.04.2020 से वर्ग नवम् की पढ़ाई शुरू करने हेतु जिला द्वारा चिन्हित किया गया है। तदनुरूप आवश्यक तैयारी की जा रही है। सम्बधित पंचायतों में निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप भूमि उपलब्ध होने पर चिन्हित मध्य विद्यालय का उत्क्रमण उच्च माध्यमिक विद्यालयों में किया जाएगा।

25.11.19

उप सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 11/वि०स० 5–199/2019–2212 पटना, दिनांक 25.11.2019

प्रतिलिपि :– प्रशाखा पदाधिकारी, बि०वि०स० (के ज्ञाप सं० प्र०–3399 दिनांक–18.11.2019 के आलोक में)/उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

25.11.19

उप सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ता.. 81

श्रीमती कुन्ती देवी, माननीय स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–शिक्षा–18		श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार।
प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री शिक्षा (माध्यमिक शिक्षा) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेगें कि :–		
	क्या बात सही है कि गया जिला अन्तर्गत प्रखंड नीमचक बथानी के ग्राम के नीमचक स्थित गुलाबचन्द्र उच्च विद्यालय का भवन एवं चहारदीवारी नहीं रहने के काण बच्चों को पठन–पाठन करने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय का भवन एवं चहारदीवारी निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय पत्रांक–2091 दिनांक–21.11.2019 द्वारा प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लि0, पटना को प्रश्नगत विद्यालयों का स्थलीय निरीक्षण कर विद्यालय में आवश्यक आधारभूत संरचना (चाहरदीवारी सहित) निर्माण हेतु प्राक्कलन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। प्राक्कलन प्राप्त होने के उपरांत अनुवर्ती कार्रवाई की जायेगी।

22/11/19
उप सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 11/वि०स० 5–186/2019–2108 पटना, दिनांक 22-11-2019
प्रतिलिपि :– प्रशाखा पदाधिकारी, बि०वि०स० (के ज्ञाप सं० प्र०–3360 दिनांक–14.11.2019 के आलोक में)/उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22/11/19
उप सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

No. 82

श्री महबूब आलम, माननीय स० वि० स० द्वारा पृच्छित तारांकित प्रश्न संख्या शिक्षा–53

	प्रश्न क्या मंत्री, शिक्षा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगें कि :–	उत्तर श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग द्वारा दिया जाने वाला उत्तर :–
(1)	क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के बारसोइ प्रखण्ड अंतर्गत शिवानंदपुर पंचायत के शिवानन्दपुर गाँव का टोला वागराय जिसकी आबादी 100 परिवारों से ज्यादा है वह महानंदा नदी के पूर्वी किराने पर बसा हुआ है और अपने मूल गाँव से कटा हुआ है, जिसके कारण बच्चों को पठन–पाठन के लिए दूसरे पंचायतों के प्राथमिक विद्यालय जाने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ तो सरकार कबतक उक्त टोला में प्राथमिक विद्यालय का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं हो क्यों ?	अस्वीकारात्मक। जिला शिक्षा पदाधिकारी, कटिहार से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार बारसोई प्रखण्ड अंतर्गत ग्राम पंचायत राज शिवानन्दपुर के वागराय के पश्चिम में लगभग 500 मीटर पर प्रा० वि० जबदपुर, 03 कि मी० की दूरी पर म० वि० दासग्राम एवं 500 मीटर की दूरी पर मदरसा शिवानन्दपुर है। विभागीय मानक के अनुरूप प्राथमिक विद्यालय की स्थापना 1 कि०मी० पर तथा मध्य विद्यालय की स्थापना 3 कि०मी० की परिधि में किया जाना है।

(हस्ताक्षर) 25/11/19

उप सचिव

शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक 06/वि० 01–99/2019 1357 /

पटना, दिनांक 25/11/19 /

प्रतिलिपि :– प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 25/11/19

उप सचिव

शिक्षा विभाग।

वि०-84

श्री राज किशोर सिंह, माननीय स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–शिक्षा–09		श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार।
प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री शिक्षा (माध्यमिक शिक्षा) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेगें कि :–		
क्या बात सही है कि वैशाली जिलान्तर्गत पटेढी बेलसर प्रखण्ड में स्थित राजकीयकृत उच्च विद्यालय, साईन को वर्ष 2008–2009 में +2 का दर्जा मिल गया है, परन्तु पढ़ाई अब तक शुरू नहीं की गई है, यदि हाँ तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय में +2 की पढ़ाई शुरू कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?		वस्तुस्थिति यह है जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली के कार्यालय ज्ञापांक–111 दिनांक–28.07.2018 एवं 358 दिनांक–31.08.2018 द्वारा प्रश्नगत विद्यालय में +2 की शिक्षा प्रारंभ करने का निदेश संबंधित प्रधानाध्यापक को दिया गया है, परंतु आधारभूत संरचना के कमी के कारण +2 का अध्यापन प्रारंभ नहीं किया जा सका है। जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली द्वारा प्रश्नगत विद्यालय में अतिरिक्त आधारभूत संरचना निर्माण हेतु प्रबंध निदेशक, BSEIDC से अनुरोध किया गया है। उक्त आधारभूत संरचना के निर्माण होने तक प्रश्नगत विद्यालय में +2 की पढ़ाई पालीवार शैक्षणिक सत्र 2020–2022 से प्रारंभ करने का निदेश जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली को विभागीय पत्रांक–2088 दिनांक–20.11.2019 द्वारा दिया गया है।

22/11/19

उप सचिव

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 11/वि०स० 5–172/2019–2101.... पटना, दिनांक ....22.•11.2019

प्रतिलिपि :– प्रशाखा पदाधिकारी, बि०वि०स० (के ज्ञाप सं० प्र०–3335 दिनांक–11.11.2019 के आलोक में)/उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22/11/19

उप सचिव

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ता॰ 86

श्री (मो0) कमरूल होदा, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 26.11.2019 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या – शिक्षा–02	माननीय मंत्री श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, शिक्षा विभाग द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे की	
(1) क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला अन्तर्गत पोठिया प्रखण्ड में डिग्री कॉलेज नहीं रहने से छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा ग्रहण करने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ तो सरकार कबतक पोठिया प्रखण्ड में डिग्री कॉलेज खोलने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	प्रस्तुत प्रश्न में प्रसंग में कहना है कि राज्य सरकार के वर्तमान नीति के तहत सिर्फ उन्ही अनुमण्डलों में सरकारी डिग्री महाविद्यालय खोलने की योजना है, जहाँ पूर्व से अंगीभूत महाविद्यालय संचालित नहीं है। किशनगंज जिला अन्तर्गत एक मात्र किशनगंज अनुमण्डल ही शामिल है, जहाँ पूर्व से मारवाडी कॉलेज, किशनगंज अंगीभूत महाविद्यालय के रूप में संचालित हो रहा है। जिन प्रखण्डों में किसी भी प्रकार के डिग्री कॉलेज संचालित नहीं है, वहाँ नालन्दा खुला विश्वविद्यालय के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के तहत अध्ययन केन्द्र स्थापित किए जा रहे है। अतः पोठिया प्रखण्ड में डिग्री कॉलेज खोलने की कोई योजना राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

ह0/–
सरकार के उप सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग, बिहार

ज्ञापांक 15/ए 4–42/2019 – 2719 पटना, दिनांक 22/11/2019

प्रतिलिपि :– प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप संख्या 3319 दिनांक 08.11.2019 के प्रसंग में/संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा –1 एवं आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग को निदेश दिया जाता है कि बिहार विधान सभा को प्रश्नोत्तर ऑन लाईन उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

22/11/19

सरकार के उप सचिव

क्र० 87

श्री जफर आलम, माननीय स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–शिक्षा–27	श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार।
प्रश्न	**उत्तर**
क्या मंत्री शिक्षा (माध्यमिक शिक्षा) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेगें कि :–	
क्या बात सही है कि सहरसा जिलान्तर्गत सलखुआ प्रखंड में स्थित प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय, सलखुआ एवं महंत मिठुदास इंटर उच्च विद्यालय, सलखुआ में गणित, भौतिकी, रसायनशास्त्र, इतिहास, भूगोल, उर्दू सहित अन्य विषयों के शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति नहीं होने के कारण छात्र–छात्राओं को पठन–पाठन में कठिनाई होती है, यदि हाँ तो सरकार कबतक उक्त विद्यालयों में उक्त विषयों की शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	वस्तुस्थिति यह है कि प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय, सलखुआ में माध्यमिक स्तर के विषयवार स्वीकृत 09 पद के विरूद्ध 09 शिक्षक एवं उच्च माध्यमिक स्तर के विषयवार स्वीकृत 11 पद के विरूद्ध 07 शिक्षक कार्यरत है, साथ ही महंत मिठुदास इंटर उच्च विद्यालय, सलखुआ में माध्यमिक स्तर के विषयवार स्वीकृत 11 पद के विरूद्ध 08 शिक्षक एवं उच्च माध्यमिक स्तर के विषयवार स्वीकृत 16 पद के विरूद्ध 07 शिक्षक कार्यरत है। उच्च माध्यमिक स्तर में अंग्रेजी, गणित एवं रसायनशास्त्र विषय में अतिथि शिक्षक की सेवा ली जा रही है। भौतिकी वनस्पतिशास्त्र, भूगोल, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र एवं कम्प्यूटर शिक्षक विषय में शिक्षको के नियोजन की कार्रवाई संबंधित नियोजन इकाई द्वारा विभागीय अधिसूचना संख्या–1142 दिनांक–01.07.2019 द्वारा निर्गत समय तालिका के अनुसार प्रगति में है। उर्दू विषय में पद अध्यावधि स्वीकृत नहीं है।

उप सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 11/वि०स० 5–183/2019–2107 पटना, दिनांक 22-11-2019
प्रतिलिपि :– प्रशाखा पदाधिकारी, बि०वि०स० (के ज्ञाप सं० प्र०–3369 दिनांक–14.11.2019 के आलोक में)/उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उप सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ना. 88

डॉ० सुबाष सिंह, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 26.11.2019 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या – शिक्षा–20	माननीय मंत्री श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, शिक्षा विभाग द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
प्रश्न	**उत्तर**
क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे की	
(1). क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के लिए कुलाधिपति द्वारा कार्य दिवस का कैलेण्डर निर्धारित किया जाता है, परंतु नालन्दा खुला विश्वविद्यालय, पटना द्वारा कुलाधिपति के निर्धारित कैलेण्डर को मान्यता नहीं देकर बिहार सरकार के मुफस्सिल कार्यालय के लिए निर्धारित कैलेण्डर को अपनाया जा रहा है, यदि हाँ तो सरकार नालन्दा खुला विश्वविद्यालय में भी अन्य विश्वविद्यालयों के लिए निर्धारित कैलेण्डर को लागू करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	विश्वविद्यालय से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार उत्तर स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के लिए महामहिम कुलाधिपति द्वारा कार्य दिवस का कैलेण्डर निर्धारित किया जाता है, परंतु नालन्दा खुला विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा अनुसूचित कैलेण्डर को अपनाया जाता है। नालन्दा खुला विश्वविद्यालय में अन्य विश्वविद्यालयों के लिए निर्धारित कैलेण्डर को लागू करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। उल्लेखनीय है कि नालन्दा खुला विश्वविद्यालय दूरस्थ शिक्षा पद्धति से संचालित विश्वविद्यालय है। दूरस्थ शिक्षा विश्वविद्यालयों में नियमित वर्ग संचालित नहीं होकर परामर्श कक्षाएँ संचालित होती है और ये परामर्श कक्षाएँ सार्वजनिक छुट्टियों के दिन अन्य विश्वविद्यालयों के विभागों/ महाविद्यालयों में स्थापित अध्ययन केन्द्रों पर उपलब्ध मानव एवं भौतिक संसाधनों के उपयोग से आयोजित होती है। नालन्दा खुला विश्वविद्यालय के मुख्यालय और इसके अध्ययन

	केन्द्रों द्वारा अन्य विश्वविद्यालयों के लिए कुलाधिपति महोदय के द्वारा निर्धारित कार्य दिवस के अनुपालन किए जाने की स्थिति में नालन्दा खुला विश्वविद्यालय की परामर्श कक्षाएँ आयोजित नहीं हो पाएगी और न ही पाठ्यक्रम सचांलित हो सकेगा।

ह0/–
सरकार के उप सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग, बिहार

ज्ञापांक 15/ए 4–44/2019 – 2721 पटना, दिनांक 22/11/ 2019

प्रतिलिपि :– प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप संख्या 3362 दिनांक 14.11.2019 के प्रसंग में/संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा –1 एवं आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग को निदेश दिया जाता है कि बिहार विधान सभा को प्रश्नोत्तर ऑन लाईन उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

सरकार के उप सचिव

ता॰ 89

डॉ0 रामानंद यादव, स०वि०स०, से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–शिक्षा –17		श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार
प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		
(1)	क्या यह बात सही है कि पटना जिला अन्तर्गत फतुहॉ प्रखंड के पंचायत मोमिन्दपुर के ग्राम–बुद्वचक स्थित हाई स्कूल एवं पंचायत कोलहर के ग्राम–कोलहर स्थित हाई स्कूल में निदेशक (मा0 शि0),शिक्षा विभाग,बिहार के पत्रांक–1620 दिनांक 31.10.18 के द्वारा नामांकन हेतु आदेश दिया गया है।	स्वीकारात्मक है।
02	क्या यह सही है कि निदेशक (मा0 शि0),शिक्षा विभाग के आदेश के बावजूद भी प्रधानाध्यापक के द्वारा उक्त हाई स्कूल में अभी तक एक भी नामांकन नही लिया गया है।	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि फतुहॉ प्रखंड के पंचायत मोमिन्दपुर के ग्राम–बुद्वचक स्थित उत्क्रमित उ0 मा0 वि0 के प्रधान द्वारा शैक्षणिक सत्र 2019–20 में नामांकन लिया गया है, परन्तु पंचायत कोलहर के ग्राम–कोलहर स्थित उत्क्रमित उ0 मा0 वि0 कोलहर के विद्यालय प्रधान द्वारा शैक्षणिक सत्र 2019–20 में नामांकन नही लिया गया है।
03	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त हाई स्कूल में नामांकन नही लेने वाले प्रधानाध्यापक पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हां तो कब तक, नही तो क्यों ?	वस्तुस्थिति यह है कि उच्च विद्यालय कोलहर के विद्यालय प्रधान से शैक्षणिक सत्र 2019–20 में नामांकन नही लेने के संबंध में कार्यालय पत्रांक 214 दिनांक 16.11.19 द्वारा स्पष्टीकरण की पृच्छा की गयी है। स्पष्टीकरण प्राप्त होते ही अग्रेत्तर विभागीय कार्रवाई की जायेगी।

26.11.19

उप सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– वि0म0को0 / प्र0–17 / 2019 2561 ... पटना, दिनांक– 25.11.2019

प्रतिलिपि– प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय ,पटना के पत्रांक 3352 दिनांक 14.11.19 के आलोक में उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

26.11.19

उप सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

प्र० 90

श्री रामदेव राय, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 26.11.2019 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या शिक्षा–06 का उत्तर सामग्री।

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–

श्री रामदेव राय, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 26.11.2019 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या शिक्षा–06	माननीय मंत्री, श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।
प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिला के बछवाड़ा प्रखंड अंतर्गत उच्च विद्यालय, नारेपुर के छात्र/छात्राओं को मुख्यमंत्री प्रोत्साहन राशि 2017 से 2019 तक तथा साईकिल एवं पोशाक की राशि का वितरण 2019 में नहीं की गई है, यदि हाँ तो सरकार कबतक उक्त योजना की राशि का लाभ छात्र/छात्राओं को देने एवं राशि का वितरण नहीं करने वाले दोषी पदाधिकारी पर कौन सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय के पत्रांक 447 दिनांक 20.11.2019 द्वारा प्रतिवेदित किया है कि वित्तीय वर्ष 2017–18 में प्रोत्साहन योजना से लाभांवित होने वाले वंचित 152 छात्र/छात्राओं को बैंक खाता में कुल राशि 14,44,000/–(चौदह लाख चौआलीस हजार) तथा वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्रोत्साहन योजना से लाभांवित होने वाले वंचित 157 छात्र/छात्राओं के बैंक खाता में कुल राशि 14,36,000/–(चौदह लाख छत्तीस हजार) हस्तान्तरित कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में लाभुक आधारित योजनाओं की राशि जिलो को उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जा रहीं है। उच्च विद्यालय नारेपुर के छात्र/छात्राओं के खाते में राशि विलम्ब से स्थांतरित करने के लिए विभागीय पत्रांक 824 दिनांक 20.11.2019 द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी, बेगूसराय से स्पष्टीकरण की मांग की गयी है।

ह०/– 22/11/19

उप सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 09/बि०वि०स०–09/2019 838 पटना, दिनांक 22/11/2019

प्रतिलिपि : 1. प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना को उनके ज्ञाप संख्या–प्र0–3332 वि0स0 दिनांक 11.11.2019 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. संसदीय कार्य विभाग, बिहार पटना/प्रशाखा पदाधिकारी प्रशाखा–1 शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

ह०/– 22/11/19

उप सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

तारा०-93

श्री प्रहलाद यादव, माननीय स० वि० स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं०–शिक्षा–54

क्र० सं०	प्रश्न क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगें कि:–	उत्तर श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा, मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार द्वारा दिये जाने वाला उत्तर:–
1	क्या यह बात सही है कि लखीसराय जिला के अलीनगर पंचायत में दिनांक–10.04.2017 को तत्कालीन पंचायत सेवक द्वारा फर्जी तरीके से पाँच शिक्षकों का नियोजन किया गया था ;	स्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), लखीसराय के ज्ञापांक–1860 दिनांक–23.11.2019 द्वारा प्राप्त सूचनानुसार लखीसराय जिला के अलीनगर पंचायत में नियोजन इकाई द्वारा कुल पाँच शिक्षक/शिक्षिका का नियोजन किया गया। उक्त नियोजन के विरूद्व श्री रविन्द पासवान द्वारा जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार, लखीसराय में वाद दायर किया गया। दायर वाद में पारित आदेश के आलोक में नियोजन की प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया। उक्त आदेश के आलोक में उक्त पंचायत के मुखिया द्वारा फिर से नियोजन की प्रक्रिया प्रारंभ करने हेतु जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार से अनुरोध किया गया। उनके अनुरोध पर नियोजन हेतु विभाग से अनुमति लेने हेतु संबंधित मुखिया को निदेशित किया गया। पुनः रविन्द पासवान द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी० डब्लू० जे० सी० सं०–8287/2014 दायर किया गया। दायर वाद में दिनांक–05.09.2016 को पारित आदेश के आलोक में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), लखीसराय द्वारा संबंधित नियोजन इकाई से अनुपालन की मांग की गई। अनुपालन की स्थिति में पुनः पूर्व में नियोजित शिक्षकों का नियोजन पंचायत इकाई द्वारा किया गया है। शिक्षक नियोजित होकर वर्ष 2017 से लगातार विद्यालय में कार्य सम्पादित करते आ रहे है, लेकिन उनका वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त फर्जी नियोजन की सूचना लिखित रूप में वर्ष–2017 में शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव एवं प्राथमिक शिक्षक निदेशक को दी गई थी, परन्तु उक्त संबंध में कोई कार्रवाई की सूचना अप्राप्त है;	स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि प्रसंगाधीन मामला विभाग के संज्ञान में आते ही क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को इस मामले की जांच कर वस्तुस्थिति प्रतिवेदन की मांग विभागीय पत्रांक–1072 दिनांक–20.08.2019 द्वारा की गई। क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक द्वारा प्रसंगाधीन मामले से संबंधित संचिका एवं साक्ष्य की मांग जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), लखीसराय से उनके पत्रांक–1740 दिनांक–14.11.2019 द्वारा की गयी है। इस प्रकार उक्त प्रसंगाधीन मामला निष्पादनार्थ प्रक्रियाधीन है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार नियोजित फर्जी शिक्षकों की सेवा समाप्त करने एवं दोषी पंचायत सेवक पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	इस खंड का उत्तर उपर्युक्त कंडिका में सन्निहित है।

उप सचिव, शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक–7/वि० मं01–36/2019 1586 पटना/दिनांक– 25/11/19 /

प्रतिलिपि– प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा को पत्रांक–3435 दिनांक–20.11.2019 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

उप सचिव, शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक–7/वि० मं01–36/2019 1586 पटना/दिनांक– 25/11/19 /

प्रतिलिपि–प्रशाखा पदाधिकारी–1 शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ।

उप सचिव, शिक्षा विभाग।

सं॰ 102

डॉ0 रामानुज प्रसाद, माननीय स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–शिक्षा–42	श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार।
प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री शिक्षा (माध्यमिक शिक्षा) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेगें कि :–	
क्या यह बात सही है कि सारण जिला के सोनपुर प्रखण्ड के परामानन्दपुर पंचायत स्थित राजकीयकृत प्राथमिक विद्यालय मूरथन उच्च विद्यालय में उत्क्रमण की सभी अर्हता पूरा करता है, यदि हाँ तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय को उच्च विद्यालय में उत्क्रमण करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि माध्यमिक विद्यालय विहिन पंचायत में विभागीय संकल्प संख्या–1021 दिनांक–05.07.2011 के तहत निर्धारित मापदण्ड को पूर्ण करने वाले चिन्हित मध्य विद्यालय का उत्क्रमण उच्च माध्यमिक विद्यालय में करने का प्रावधान है। प्रश्नगत विद्यालय एक प्राथमिक विद्यालय है, इसलिए इसका उत्क्रमण उच्च माध्यमिक विद्यालय में नहीं किया जा सकता है।

22/11/19

उप सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 11/वि०स० 5–200 /2019–2099 पटना, दिनांक 22.11.2019

प्रतिलिपि :– प्रशाखा पदाधिकारी, बि०वि०स० (के ज्ञाप सं० प्र०–3403 दिनांक–18.11.2019 के आलोक में)/उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22/11/19

उप सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ता॰ 104

श्री समीर कुमार महासेठ, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 26.11.2019 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या – शिक्षा–12	माननीय मंत्री श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, शिक्षा विभाग द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे की	
(1). क्या यह बात सही है कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत नैक ग्रेड प्राप्त कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को ही लाभ मिलता है ;	उत्तर अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि बिहार राज्यान्तर्गत सभी सरकारी एवं मान्य निजी शिक्षण संस्थानों तथा बिहार राज्य के बाहर के सभी सरकारी शिक्षण संस्थान स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए मान्य है। परंतु राज्य के बाहर के निजी संस्थानों के संदर्भ में विभागीय संकल्प संख्या 1462 दिनांक 05.07.2019 के अनुसार राज्य के बाहर के सक्षम प्राधिकार से मान्यता प्राप्त गैर सरकारी अथवा निजी शिक्षण संस्थानो में नामांकित या नामांकन हेतु चयनित मात्र वैसे अर्हता प्राप्त आवेदकों को ही इस योजना का लाभ प्राप्त होगा, जिनके संस्थान को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् (नैक) के द्वारा न्यूनतम ग्रेड 'ए' प्राप्त है अथवा संस्थान में संचालित कार्यक्रमों का National Board of Accreditation के द्वारा Accreditation प्राप्त है अथवा केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा निर्गत National Institutional Ranking Frame work की रैंकिंग प्राप्त है।
(2). क्या यह बात सही है कि राज्य में ट्रेनिंग कॉलेजों सहित कुल 700 कॉलेज है ;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
(3). क्या यह बात सही है कि देश में 5392 कॉलेजों को नैक मान्यता प्राप्त है, जबकि राज्य के मात्र 129 कॉलेजों को ही नैक ग्रेड प्राप्त है ;	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। पुरे देश में नैक से मान्यता प्राप्त संस्थानों के आँकडे विभाग में उपलब्ध नहीं है। सम्प्रति राज्य में 109 महाविद्यालय/विश्वविद्यालयों को नैक से मान्यता प्राप्त है।

(4). यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार राज्य के सभी 700 कॉलेजों को नैक ग्रेडिंग मिले इसके लिए कौन से कदम उठाने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	राज्य के सभी महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों को नैक की ग्रेडिंग प्राप्त हो सके इसके लिए महामहिम राज्यपाल महोदय की अध्यक्षता में राज्य के सभी कुलपतिगण के साथ समय-समय पर बैठक में आवश्यक दिशा निदेश दिये जाते हैं एवं अनुश्रवण भी किया जाता है। अधिक से अधिक महाविद्यालय नैक के लिए आवेदन दें, इस हेतु पटना में एक वर्कशॉप भी आहूत की गई थी जिसमें नैक एवं यू०जी०सी० के वरीय पदाधिकारियों द्वारा भी भाग लिया गया था। उल्लेखनीय है कि राज्य के महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के नैक ग्रेडिंग के लिए नैक की टीम का राज्य दौरा नियमित रूप से किया जा रहा है।

ह० /–
सरकार के उप सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग, बिहार

ज्ञापांक 15/ए 4-43/2019 – 2727 पटना, दिनांक 22/11/ 2019

प्रतिलिपि :– प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप संख्या 3346 दिनांक 13.11.2019 के प्रसंग में/संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-1 एवं आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग को निदेश दिया जाता है कि बिहार विधान सभा को प्रश्नोत्तर ऑन लाईन उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

21.11.19

सरकार के उप सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार

ता. – 105

श्रीमती अमिता भूषण, माननीय स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–शिक्षा–08	श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार।
प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री शिक्षा (माध्यमिक शिक्षा) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेगें कि :–	
क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिले के बीरपुर प्रखण्ड के बीरपुर पं0 पंचायत स्थित कन्या मध्य विद्यालय का उत्क्रमण उच्च विद्यालय में नहीं किये जाने के कारण प्रखण्ड की लड़कियों को माध्यमिक शिक्षा के लिये परेशानियों का सामना करना पड़ता है, यदि हॉ तो सरकार कबतक कन्या मध्य विद्यालय, बीरपुर को उच्च विद्यालय में उत्क्रमित करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय संकल्प संख्या–1021 दिनांक–05.07.2013 के द्वारा राज्य सरकार का यह निर्णय संसूचित है कि सभी पंचायतों को एक–एक उच्च माध्यमिक विद्यालय से आच्छादित किया जाएगा। भूमि संबंधित निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप भूमि की अनुपलब्धता के कारण वर्तमान में 2950 पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना नहीं की जा सकी है। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत इन पंचायतों में चिन्हित मध्य विद्यालयों में वर्ग–9 का संचालन अप्रैल 2020 से प्रारंभ करने की योजना पर विभाग कार्य कर रहा है। इसके तहत राज्य के सभी वैसे माध्यमिक विद्यालय विहिन पंचायतों का सर्वेक्षण कर मध्य विद्यालय को चिन्हित करने की कार्रवाई के तहत प्रश्नगत पंचायत के मध्य विद्यालय, बरैपुरा में दिनांक–01.04.2020 से वर्ग नवम् की पढ़ाई शुरू करने हेतु जिला द्वारा चिन्हित किया गया है। अलग से कन्या उच्च विद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव सरकार के स्तर पर विचाराधीन नहीं है।

उप सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 11/वि०स० 5–177/2019–2103 पटना, दिनांक 22.11.2019
प्रतिलिपि :– प्रशाखा पदाधिकारी, बि०वि०स० (के ज्ञाप सं० प्र०–3334 दिनांक–11.11.2019 के आलोक में)/उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उप सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ता–108

श्री रवीन्द्र सिंह, माननीय स० वि० स० द्वारा पृच्छित तारांकित प्रश्न संख्या शिक्षा–23

	प्रश्न क्या मंत्री, शिक्षा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगें कि :–	उत्तर श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग द्वारा दिया जाने वाला उत्तर :–
(1)	क्या यह बात सही है कि अरवल जिलान्तर्गत कलेर प्रखण्ड के ग्राम–ओझा विगहा एवं करपी प्रखण्ड के ग्राम–मुड़ला विगहा में भूमि उपलब्धता के बावजूद प्राथमिक विद्यालय का निर्माण नहीं होने के कारण वहॉं के बच्चे एवं बच्चियों को 1 कि० मी० दूर स्थापित विद्यालयों में पठन–पाठन करने हेतु जाने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है, यदि हॉं तो सरकार कबतक उक्त ग्रामों में प्राथमिक विद्यालय स्थापित करने विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	वस्तुस्थिति यह है कि अरवल जिलान्तर्गत कलेर प्रखण्ड के ग्राम–ओझा विगहा में नवसृजित प्राथमिक विद्यालय ओझा विगहा स्वीकृत ईकाई है, जिसका डायस कोड–10380506001 है। वित्तीय वर्ष 2006–07 में उक्त विद्यालय के भवन निर्माण हेतु रू० 1,90,000/– (एक लाख नब्बे हजार रु०) विद्यालय शिक्षा समिति को उपलब्ध कराई गई थी, परन्तु भूमि अनुपलब्धता के कारण विद्यालय शिक्षा समिति द्वारा राशि वापस कर दी गई है। उक्त विद्यालय के लिए अंचलाधिकारी, कलेर से भूमि का अनापत्ति प्रमाण–पत्र (एन०ओ०सी०) प्राप्त हो चुका है। उक्त विद्यालय के भवन निर्माण हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई की जायेगी। तत्काल यह विद्यालय मध्य विद्यालय चन्दा के साथ संचालित है। अरवल जिलान्तर्गत करपी प्रखण्ड के ग्राम–मुड़ला विगहा में नवसृजित प्राथमिक विद्यालय मुड़ला विगहा स्वीकृत ईकाई है, जिसका डायस कोड–10380607305 है। उक्त विद्यालय के भवन निर्माण हेतु भूमि अनुपलब्ध है। भूमि उपलब्ध कराने हेतु अंचलाधिकारी, करपी को सूचित किया गया है। भूमि उपलब्ध होने के उपरांत उक्त विद्यालय के भवन निर्माण हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई की जा सकेगी। तत्काल यह विद्यालय प्राथमिक विद्यालय भगवानपुर के साथ संचालित है।

उप सचिव
शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक 06/वि० 01–88/2019......1358..../ पटना, दिनांक 25/11/19

प्रतिलिपि :– प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उप सचिव
शिक्षा विभाग।

ता॰ 110

श्रीमती कुन्ती देवी, माननीय स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–शिक्षा–19	श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार।
प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री शिक्षा (माध्यमिक शिक्षा) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेगें कि :–	
क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत प्रखण्ड नीमचक बथानी के ग्राम बथानी में स्थित उत्क्रमित उच्च विद्यालय का भवन और चहारदिवारी नहीं रहने के कारण बच्चों को पठन–पाठन में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय का भवन और चहारदिवारी का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि गया जिलान्तर्गत प्रखण्ड नीमचक बथानी के ग्राम बथानी में स्थित मध्य विद्यालय का उत्क्रमण उच्च माध्यमिक विद्यालय में नहीं किया गया है। भूमि संबंधित निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप भूमि की अनुपलब्धता के कारण वैकल्पिक व्यवस्था के तहत प्रसंगाधीन पंचायत के ग्राम बथानी में स्थित मध्य विद्यालय में दिनांक–01.04.2020 से वर्ग नवम् की पढ़ाई शुरू करने हेतु आवश्यक तैयारी की जा रही है।

उप सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 11/वि०स० 5–190/2019–2223 पटना, दिनांक 25.11.2019
प्रतिलिपि :– प्रशाखा पदाधिकारी, बि०वि०स० (के ज्ञाप सं० प्र०–3361 दिनांक–14.11.2019 के आलोक में)/उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उप सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ता0- 111

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह, माननीय स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–शिक्षा–15	श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार।
प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री शिक्षा (माध्यमिक शिक्षा) विभाग, यह बतलाने की कृपा करगें कि :–	
क्या बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत कोटवा प्रखंड के उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय रामजी टोला का उत्क्रमण वर्ष–2014 में हुआ है, लेकिन माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होने से पठन–पाठन बाधित है, यदि हाँ तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय में माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति कर छात्र हित में शिक्षण कार्य शुरू कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	आंशिक स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियोजन की कार्रवाई विभागीय अधिसूचना संख्या–1142 दिनांक–01.07.2019 द्वारा छठे चरण की नियोजन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। उक्त कोटि के विद्यालयों में माध्यमिक शिक्षक का पद अद्यतन सृजित नहीं है। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत सम्बधिन्त मध्य विद्यालय के योग्यताधारी शिक्षकें के द्वारा माध्यमिक कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है।

25.11.19

उप सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 11/वि०स० 5–182/2019–2216 पटना, दिनांक 25.11.2019
प्रतिलिपि :– प्रशाखा पदाधिकारी, बि०वि०स० (के ज्ञाप सं० प्र०–3350 दिनांक–14.11.2019 के आलोक में)/उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

25.11.19

उप सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ता॰ – 113

श्रीमती अमिता भूषण, माननीय स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–शिक्षा–07		श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार।
प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री शिक्षा (माध्यमिक शिक्षा) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेगें कि :–		
1	क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिले के कैथ पंचायत अंतर्गत मध्य विद्यालय कैथ उच्च विद्यालय में उत्क्रमण हेतु सभी अहर्ताओं को पूरा करने के बावजूद भी इस विद्यालय को उत्क्रमित नहीं किया गया है जिसके कारण इस पंचायत के छात्रों को माध्यमिक शिक्षा ग्रहण करने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है;	वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय संकल्प संख्या–1021 दिनांक–05.07.2013 के द्वारा राज्य सरकार का यह निर्णय संसूचित है कि सभी पंचायतों को एक–एक उच्च माध्यमिक विद्यालय से आच्छादित किया जाएगा। भूमि संबंधित निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप भूमि की अनुपलब्धता के कारण वर्तमान में 2950 पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना नहीं की जा सकी है। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत इन पंचायतों में चिन्हित मध्य विद्यालयों में वर्ग–9 का संचालन अप्रैल 2020 से प्रारंभ करने की योजना पर विभाग कार्य कर रहा है। इसके तहत सर्वेक्षण कर मध्य विद्यालय को चिन्हित करने की कार्रवाई के तहत प्रश्नगत पंचायत के मध्य विद्यालय, बरैठ में अप्रैल 2020 से वर्ग नवम् की पढ़ाई शुरू करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार मध्य विद्यालय कैथ को उच्च विद्यालय में उत्क्रमित करने का विचार रखती है, हॉं तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	विभागीय पत्रांक 2089 दिनांक–21.11.2019 के द्वारा मध्य विद्यालय कैथ के उच्च माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमण की अर्हता की जांच कर यदि वह अर्हताधारित करता हो तो विभागीय संकल्प संख्या 1021 दिनांक–05.07.2013 के अनुरूप जिला स्तरीय समिति से अनुशंसा भेजने का निदेश दिया गया है।

उप सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 11/वि०स० 5–176/2019–2224 पटना, दिनांक 25.11.2019

प्रतिलिपि :– प्रशाखा पदाधिकारी, बि०वि०स० (के ज्ञाप सं० प्र०–3333 दिनांक–11.11.2019 के आलोक में)/उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी प्रशाखा–01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उप सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ता० 114

श्री मेवालाल चौधरी, माननीय स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–शिक्षा–40	श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार।
प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री शिक्षा (माध्यमिक शिक्षा) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेगें कि :–	
क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिला के असरगंज प्रखण्ड के रामानंद परसीराम उच्च विद्यालय, असरगंज का भवन जर्जर होने के कारण छात्र/छात्राओं को पठन–पाठन में असुविधा होती है, यदि हाँ तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय का जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	आंशिक स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि असरगंज प्रखंड के रामानंद परसीराम उच्च विद्यालय, असरगंज में कुल कमरों की संख्या 18 है। शिक्षण कार्य योग्य कमरों की संख्या–07, क्षतिग्रस्त कमरों की संख्या–06 एवं जर्जर स्थिति में कमरों की संख्या–05 है। जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुंगेर से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक दिनांक–06.11.2019 को माननीय विधायक, तारापुर की अध्यक्षता में आहूत कर विकास कोष से जीर्णोद्धार की दिशा में कार्रवाई की जा रही है। यदि उक्त निर्माण हेतु राशि की अधियाचना की जाएगी तो तदनुसार अनुवर्ती कार्रवाई की जाएगी।

उप सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 11/वि०स० 5–194/2019–2222 पटना, दिनांक 25-11-2019
प्रतिलिपि :– प्रशाखा पदाधिकारी, बि०वि०स० (के ज्ञाप सं० प्र०–3401 दिनांक–18.11.2019 के आलोक में)/उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उप सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ता०-115

श्रीमती अरूणा देवी, माननीय स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–शिक्षा–10	श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार।
प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री शिक्षा (माध्यमिक शिक्षा) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेगें कि :–	
क्या यह बात सही है कि नवादा जिले के वारिसलीगंज प्रखण्ड के अपसढ़ गाँव में एक वित्तरहित उच्च विद्यालय संचालित है, परन्तु उक्त पंचायत में इंटरमीडिएट की पढ़ाई हेतु कोई विद्यालय नहीं रहने के कारण छात्र/छात्राओं को पठन–पाठन में कठिनाई होती है, यदि हाँ तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय को उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय संकल्प संख्या–1021 दिनांक–05.07.2013 के द्वारा राज्य सरकार का यह निर्णय संसूचित है कि सभी पंचायतों को एक–एक उच्च माध्यमिक विद्यालय से आच्छादित किया जाएगा। भूमि संबंधित निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप भूमि की अनुपलब्धता के कारण वर्तमान में 2950 पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना नहीं की जा सकी है। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत इन पंचायतों में चिन्हित मध्य विद्यालयों में वर्ग–9 का संचालन अप्रैल 2020 से प्रारंभ करने की योजना पर विभाग कार्य कर रहा है। वित्त रहित उच्च विद्यालय को उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

उप सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 11/वि०स० 5–181/2019–2102 पटना, दिनांक 22.11.2019

प्रतिलिपि :– प्रशाखा पदाधिकारी, बि०वि०स० (के ज्ञाप सं० प्र०–3336 दिनांक–13.11.2019 के आलोक में)/उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उप सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ता–116

श्री चन्द्रशेखर, माननीय स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–शिक्षा–43	श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार।
प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री शिक्षा (माध्यमिक शिक्षा) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेगें कि :–	
क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिलान्तर्गत धैलाढ़ प्रखण्ड के चिकनोटवा ग्राम में स्थित उत्क्रमित उच्च विद्यालय भवन का निर्माण कार्य विगत 08 (आठ) वर्षो से अधूरा है, जिसके कारण छात्र/छात्राओं को पठन–पाठन में कठिनाई होती है, यदि हाँ तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय का भवन निर्माण पूर्ण कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	आंशिक स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि कार्यपालक अभियंता–सह–मुख्य परामर्शी (तकनीकी) बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लि0, पटना द्वारा सूचित किया गया है कि मधेपुरा जिलान्तर्गत धैलाढ़ प्रखंड के चिकनोटवा ग्राम में स्थित उत्क्रमित उच्च विद्यालय भवन का निर्माण कार्य पूर्ण कर दिया गया था। उसमें कुछ त्रुटियाँ पाये जाने के कारण उसे 22.12.2019 तक सुधार कर संबंधित प्रधानाध्यापक को हस्तगत करा दी जायेगी।

25/11/19

उप सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 11/वि०स० 5–196/2019–2221 पटना, दिनांक 25.11.2019
प्रतिलिपि :– प्रशाखा पदाधिकारी, बि०वि०स० (के ज्ञाप सं० प्र०–3404 दिनांक–18.11.2019 के आलोक में)/उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

25/11/19

उप सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ता॰ 117

श्री शकील अहमद खाँ, माननीय स० वि० स० द्वारा पृच्छित तारांकित प्रश्न संख्या शिक्षा–32

	प्रश्न क्या मंत्री, शिक्षा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगें कि :–	उत्तर श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग द्वारा दिया जाने वाला उत्तर :–
(1)	क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत कदवा प्रखण्ड के सागरथ पंचायत के बसंतपुर संथाली टोला में 5 कि.मी. के दायरे में कोई प्राथमिक विद्यालय नहीं है एवं उक्त टोला की आबादी 2000 से अधिक है, यदि हाँ तो सरकार कबतक उक्त टोला में प्राथमिक विद्यालय खोलने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	अस्वीकारात्मक है। कटिहार जिलान्तर्गत कदवा प्रखण्ड के सागरथ पंचायत के बसंतपुर संथाली टोला के उत्तर दिशा में 1.2 किलोमीटर पर प्रा० विद्यालय बडहुआ, दक्षिण दिशा में 2 कि०मी० पर उ० म० विद्यालय बसंतपुर, पूरब दिशा में 1 कि०मी० पर उ०म० वि० सगुनिया एवं पश्चिम दिशा में 1.7 किलोमीटर पर नया प्रा० वि० ईदगाह टोला अवस्थित है। विभागीय मानक के अनुरूप प्राथमिक विद्यालय की स्थापना 1 कि०मी० पर तथा मध्य विद्यालय की स्थापना 3 कि० मी० की परिधि में किया जाना है।

(हस्ताक्षर) 25/11/19

उप सचिव
शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक 06/वि० 01–90/2019 1359 /

पटना, दिनांक 25/11/19/

प्रतिलिपि :– प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 25/11/19

उप सचिव
शिक्षा विभाग।

No. 119

डॉ0 विनोद प्रसाद यादव, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 26.11.2019 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या – शिक्षा–13	माननीय मंत्री श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, शिक्षा विभाग द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
प्रश्न	**उत्तर**
क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे की	
(1) क्या यह बात सही है कि गया जिला के शेरघाटी अनुमण्डल की आबादी लगभग 16 लाख है, जिसमें एस0एम0एस0जी0 एक मात्र डिग्री महाविद्यालय है;	उत्तर स्वीकारात्मक है। शेरघाटी अनुमण्डल में एस0एम0एस0जी0 कॉलेज अंगीभूत महाविद्यालय के रूप में संचालित है।
(2) क्या यह बात सही है कि शेरघाटी अनुमण्डल के सभी निजी महाविद्यालयों के संबद्धता समाप्त होने के कारण छात्रों को नामांकन में काफी कठिनाई हो रही है ;	उत्तर अस्वीकारात्मक है। विश्वविद्यालय के स्तर से छात्रों के नामांकन में कठिनाई की कोई सूचना सम्प्रति अप्राप्त है।
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार राज्य के अन्य महाविद्यालयों सहित एस0एम0एस0जी0 कॉलेज, शेरघाटी में नामांकन हेतु सीटों की संख्या बढ़ाने तथा उक्त महाविद्यालय में पी0जी0 की पढ़ाई शुरू कराने पर विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय पत्रांक 1818 दिनांक 16.08.2019 द्वारा पटना विश्वविद्यालय को छोडकर राज्य के सभी विश्वविद्यालयों से अंगीभूत महाविद्यालयों में पूर्व में विभिन्न संकायों में निर्धारित सीटों की संख्या समीक्षा कर आवश्यकतानुसार सीट वृद्धि का प्रस्ताव विभाग में उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है। मगध विश्वविद्यालय से इस संदर्भ में सम्प्रति कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं है। प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत सरकार नियमानुकूल निर्णय लेगी। जहाँ तक इस महाविद्यालय में पी0जी0 की पढ़ाई शुरू करने का प्रश्न है। इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976

	की धारा 4(17) के तहत विश्वविद्यालय की सक्षम प्राधिकार है। राज्य सरकार को सिर्फ सीटों की संख्या निर्धारण की शक्ति है।

ह0/–
सरकार के उप सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग, बिहार

ज्ञापांक 15/ए 4–45/2019 – 2720 पटना, दिनांक 22/11/ 2019

प्रतिलिपि :– प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप संख्या 3347 दिनांक 13.11.2019 के प्रसंग में/संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा –1 एवं आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग को निदेश दिया जाता है कि बिहार विधान सभा को प्रश्नोत्तर ऑन लाईन उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

22/11/19

सरकार के उप सचिव

ता० 121

बिहार विधान सभा के लिए श्री तार किशोर प्रसाद, माननीय सदस्य बिहार विधान सभा द्वारा पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या शिक्षा–35

	प्रश्न क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगें कि :–	उत्तर श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग द्वारा दिया जाने वाला उत्तर :–
(1)	क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला अंतर्गत हसनगंज प्रखंड के कालसर पंचायत अंतर्गत कालसर गाँव में स्थित बेसिक विद्यालय का चाहरदीवारी नहीं रहने के कारण छात्र/छात्राओं को पठन–पाठन में कठिनाई होती है, यदि हाँ तो सरकार कबतक उक्त बेसिक विद्यालय में चाहरदीवारी का निर्माण कराने का विचार रखती है, नही तो क्यों?	राजकीय बुनियादी विद्यालय, कालसर, प्रखंड हसनगंज, जिला–कटिहार में चाहरदीवारी के निर्माण कार्य हेतु विभागीय पत्रांक 1343 दिनांक 25.11.2019 के द्वारा प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम, पटना से प्राक्कलन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। प्राक्कलन प्राप्त होते ही शीघ्र निर्माण कार्य कराया जायेगा।

25/11/19

उप सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–6/वि०1–96/2019 ...1355 पटना, दिनांक–25/11/19........./

प्रतिलिपि– अवर सचिव, बिहार विधान सभा, सचिवालय को उनके ज्ञापांक–3388 दिनांक–16.11.2019 (दो प्रतियों में)/संसदीय कार्य विभाग, बिहार पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

25/11/19

उप सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ता०-123

श्री वशिष्ठ सिंह, माननीय स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–शिक्षा–29	श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार।
प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री शिक्षा (माध्यमिक शिक्षा) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेगें कि :–	
क्या बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत प्रखंड करगहर, पंचायत–सिवन में सरकारी उच्च विद्यालय नहीं होने के कारण यहाँ के छात्र–छात्राओं को माध्यमिक स्तर के शिक्षा प्राप्त करने हेतु 8 से 10 कि.मी. दूर जाना पड़ता है, यदि हाँ तो सरकार कबतक उक्त पंचायत में उच्च विद्यालय खोलने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय संकल्प संख्या–1021 दिनांक–05.07.2013 के द्वारा राज्य सरकार का यह निर्णय संसूचित है कि सभी पंचायतों को एक–एक उच्च माध्यमिक विद्यालय से आच्छादित किया जाएगा। भूमि संबंधित निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप भूमि की अनुपलब्धता के कारण वर्तमान में 2950 पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना नहीं की जा सकी है। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत इन पंचायतों में चिन्हित मध्य विद्यालयों में वर्ग–9 का संचालन अप्रैल 2020 से प्रारंभ करने की योजना पर विभाग कार्य कर रहा है। इसके तहत राज्य के उक्त 2950 माध्यमिक विद्यालय विहिन पंचायतों का सर्वेक्षण कराया गया है। इसके आधार पर प्रश्नगत पंचायत में अवस्थित मध्य विद्यालय, सिवन को चिन्हित किया गया है। इस विद्यालय में अप्रैल 2020 से वर्ग नवम् की पढ़ाई शुरू करने हेतु आवश्यक तैयारी की जा रही है।

22/11/19

उप सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 11/वि०स० 5–191/2019–......2105 पटना, दिनांक 22/11/2019

प्रतिलिपि :– प्रशाखा पदाधिकारी, बि०वि०स० (के ज्ञाप सं० प्र०–3371 दिनांक–14.11.2019 के आलोक में)/उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22/11/19

उप सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ता०-124

श्री अमित कुमार माननीय स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–शिक्षा–47		श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार।
प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री शिक्षा (माध्यमिक शिक्षा) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेगें कि :–		
	क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत सुप्पी प्रखण्ड के बहनगामा हाई स्कूल का चाहरदिवारी के निर्माण नहीं होने के कारण छात्र/छात्राओं को पठन–पाठन में कठिनाई होती है, यदि हाँ तो सरकार कबतक उक्त हाई स्कूल का चाहरदिवारी का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि रीगा प्रखण्ड अंतर्गत बमनगामा हाई स्कूल दो ओर से चाहरदीवारी से घिरा है। राज्य संसाधन की उपलब्धता को ध्यान में रखकर चाहरदिवारी का निर्माण कराया जाएगा।

25/11/19

उप सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 11/वि०स० 5–192/2019–...2214... पटना, दिनांक ...25.11.2019
प्रतिलिपि :– प्रशाखा पदाधिकारी, बि०वि०स० (के ज्ञाप सं० प्र०–3408 दिनांक–18.11.2019 के आलोक में)/उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

25/11/19

उप सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ता॰ 125

श्री अशोक कुमार सिंह, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 26.11.2019 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–शिक्षा–36	माननीय मंत्री श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, शिक्षा विभाग द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, शिक्षा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि	
1. क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:– क्या यह बात सही है कि कैमूर जिला के रामगढ़ प्रखण्ड में स्थित ग्राम भारती महाविद्यालय रामगढ़ में स्नातकोत्तर की पढ़ाई नहीं होने से छात्र एवं छात्राओं को राज्य से बाहर उत्तर प्रदेश 100 कि०मी० दूर जाना पड़ता है, यदि हाँ तो सरकार कबतक ग्राम भारतीय महाविद्यालय में स्नातकोत्तर की पढ़ाई प्रारम्भ कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	उत्तर स्वीकारात्मक हैं। प्रस्तुत प्रश्न के संदर्भ में वस्तु स्थिति यह है कि कैमूर जिला के रामगढ़, प्रखण्ड में स्थित ग्राम भारती महाविद्यालय, रामगढ़ में स्नातकोत्तर की पढ़ाई नहीं होती है, परन्तु विश्वविद्यालय के अंतर्गत विद्वत परिषद् की बैठक में निर्णय लिया गया है कि जिस महाविद्यालय में स्नातकोत्तर की पढ़ाई शुरू करनी है, वहाँ के संबंधित Infrastructure की जाँच स्नातकोत्तर विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा। इस आशय की अधिसूचना विश्वविद्यालय द्वारा पत्रांक–2740/Estab/19 दिनांक 30.09.19 से निर्गत कर दिया गया है। जाँचोपरान्त स्नातकोत्तर स्तर पर पढ़ाई शुरू करने पर विचार किया जाएगा।

ह०/–
सरकार के उप सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

ज्ञापांक 15/ए 4–47/2019 – 2723 पटना, दिनांक 22/11/19

प्रतिलिपि :– प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप संख्या 3389 दिनांक–16.11.2019 के प्रसंग में/संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–1 एवं आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग को निदेश दिया जाता है कि बिहार विधान सभा को प्रश्नोत्तर ऑन लाईन उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

सरकार के उप सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार

ता॰ 126

श्री संजय सरावगी, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या शिक्षा–25 का उत्तर सामग्री :–

माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा द्वारा पुछे गये प्रश्न	उत्तर सामग्री
1. क्या यह बात सही है कि राज्य के प्राथमिक विद्यालय एवं मध्य विद्यालयों में मध्याह्न भोजन बनाने वाले रसोईयों के मृत्यु हो जाने पर 4 लाख की राशि का मुआवजा देने का प्रावधान है;	स्वीकारात्मक शिक्षा विभाग के संकल्प ज्ञापांक 1198 दिनांक 31.08.2015 के द्वारा मध्याह्न भोजन योजना में कार्यरत रसोइया–सह–सहायक को सेवाकाल में मृत्यु होने पर उनके आश्रितो को एक मुश्त चार लाख रूपये का अनुग्रह अनुदान राशि देने का प्रावधान है।
2. क्या यह बात सही है कि दरभंगा सदर प्रखंड अन्तर्गत शीशो पूर्वी पंचायत की शैलो दवी, शीशो पश्चिमी पंचायत की मीना देवी एवं सुनीता देवी समेत दरभंगा जिले के 21 मध्याह्न भोजन बनाने वाले रसोईयों की मृत्यु हुए छः माह से ज्यादा हो गया है लेकिन मुआवजा की राशि का भुगतान नहीं किया गया है;	वस्तुस्थिति यह है कि दरभंगा जिला में कुल मृत रसोईया की संख्या 53 है, जिसमें 37 रसोईया के आश्रितों का भुगतान कर दिया गया है। शेष प्रक्रियाधीन है। दरभंगा सदर प्रखंड अन्तर्गत शीशो पूर्वी पंचायत की शैलो दवी की मृत्यु दिनांक 24.08.2019 को हुआ है। मृत रसोईया का आवेदन दिनांक 27.09.2019 को जिला कार्यालय को प्राप्त हुआ है। राशि निकासी प्रक्रियाधीन है। राशि निकासी होते ही भुगतान कर दिया जायेगा। मीना देवी, उ०म०वि० गोलमा, कु०स्थान पूर्वी एवं मीना देवी, प्रा०वि० गोरामडीह, कु०स्थान पूर्वी को कार्यालय पत्रांक 31 दिनांक 15.01.2019 के द्वारा रसोईया के आश्रितों के खाता में अनुग्रह अनुदान की राशि हस्तांतरित कर दिया गया है। शीशो पश्चिमी पंचायत की सुनीता देवी के नाम से कोई भी आवेदन जिला कार्यालय को अब तक प्राप्त नही हुआ है। जिला कार्यालय को इस संबंध में जाँच कर प्रस्ताव भेजने के लिए निदेश दिया गया है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार कब तक खण्ड (2) में वर्णित मृतक रसोईयों को 4 लाख की मुआवजे की राशि का भुगतान करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	राज्य सरकार से राशि निकासी होते ही अविलम्ब शेष मृत रसोईया–सह–सहायक का अनुग्रह अनुदान की राशि उनके आश्रितो के खाते में हस्तांतरण कर दिया जायेगा।

25/11/19

उप सचिव,
शिक्षा विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 2701 / दिनांक– 25/11/2019

प्रतिलिपि–उप सचिव, बिहार विधान सभा को 05 (पाँच) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/11/19

उप सचिव,
शिक्षा विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 2701 / दिनांक– 25/11/2019

प्रतिलिपि–प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–1 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/11/19

उप सचिव,
शिक्षा विभाग
बिहार, पटना।

ता.-128

श्री राजेन्द्र कुमार, माननीय स० वि० स० द्वारा पृच्छित तारांकित प्रश्न संख्या शिक्षा—55

	प्रश्न क्या मंत्री, शिक्षा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगें कि :—	उत्तर श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग द्वारा दिया जाने वाला उत्तर :—
(1)	क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के हरसिद्धि प्रखण्ड के पंचायत मानिकपुर स्थित नवसृजित विद्यालय मानिकपुर के निर्माण हेतु श्री शिवनन्दन राय, पिता—स्व०बंगाली राय, ग्राम—मानिकपुर द्वारा खाता संख्या—58, खेसरा—313, रकवा—2 कट्टा—10 धुर दान देने हेतु जिला प्रशासन से वर्ष—2013 में अनुमति की माँग की गई थी, परन्तु जिला प्रशासन पूर्वी चम्पारण द्वारा अब तक अनुमति नहीं दिया गया है;	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि पूर्वी चम्पारण जिला के हरसिद्धि प्रखण्ड के पंचायत मानिकपुर स्थित नवसृजित विद्यालय मानिकपुर के निर्माण हेतु अंचलाधिकारी, हरसिद्धि के द्वारा प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व प्रशाखा, पूर्वी चम्पारण से पत्राचार किया गया है, जिसमें जमीन की जमाबंदी से संबंधित कागजात उपलब्ध नहीं होने के कारण जमीन निबंधित नहीं हो सका। श्री शिवनन्दन राय, पिता—स्व०बंगाली राय, ग्राम—मानिकपुर के द्वारा जमाबंदी से संबंधित कागजात उपलब्ध कराया गया है। जिसके पश्चात् जमीन निबंधन हेतु कार्रवाई की जा रही है।
(2)	क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय को 2 कि. मी. बुनियादी विद्यालय से सम्बद्ध कर देने से मानिकपुर के बच्चों को पठन—पाठन में कठिनाई हो रही है;	वस्तुस्थिति यह है कि उक्त विद्यालय के छात्रों को इसी पोषक क्षेत्र के विद्यालय से संबद्ध किया गया है, जिसमें छात्रों का पठन—पाठन कार्य संचालित है।
(3)	यदि उपरोक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार कबतक खण्ड—1 में उपलब्ध भूमि पर विद्यालय का निर्माण करने एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं देने वाले दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	वस्तुस्थिति यह है कि उक्त विद्यालय के लिए भूमि निबंधन की दिशा में त्वरित कार्रवाई की जा रही है।

उप सचिव
शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक 06/वि० 01—97/2019.....1353.../ पटना, दिनांक 25/11/19/

प्रतिलिपि :— प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा—01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उप सचिव
शिक्षा विभाग।

तारा-49

श्री राजेश कुमार, माननीय स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–शिक्षा–49	श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार।
प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री शिक्षा (माध्यमिक शिक्षा) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगें कि :–	
क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत कुटुम्बा प्रखण्ड के महाराजगंज पंचायत स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय, हनेआ एवं जगदीशपुर पंचायत स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय, रसूलपुर संचालित है, जिसके 7 कि.मी. के परिधि में कोई भी उच्च विद्यालय नहीं रहने के कारण छात्र/छात्राएं उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित हो रही है, यदि हाँ तो सरकार कबतक उक्त मध्य विद्यालयों को उच्च विद्यालय में उत्क्रमित करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय संकल्प संख्या–1021 दिनांक–05.07.2013 के आलोक में माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों में एक एक उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना का निर्णय संसूचित है। औरंगाबाद जिलान्तर्गत कुटुम्बा प्रखण्ड के महाराजगंज पंचायत में पूर्व से उच्च विद्यालय महाराजगंज एवं जगदीशपुर पंचायत में उत्क्रमित उच्च विद्यालय चिन्तावन बिगहा अवस्थित है। अतः प्रश्नगत मध्य विद्यालयों को उत्क्रमित करने का प्रस्ताव सम्प्रति विचाराधीन नहीं है।

उप सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 11/वि०स० 5–197/2019–2220 पटना, दिनांक 25-11-2019
प्रतिलिपि :– प्रशाखा पदाधिकारी, बि०वि०स० (के ज्ञाप सं० प्र०–3410 दिनांक–18.11.2019 के आलोक में)/उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उप सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

तारा०-130

श्रीमती सुनीता सिंह चौहान, माननीय स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या--शिक्षा--21	श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार।
प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री शिक्षा (माध्यमिक शिक्षा) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेगें कि :-	
क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत बेलसंड प्रखण्ड स्थित उत्क्रमित उच्च विद्यालय, डुमरा का भवन निर्माण का कार्य वर्ष 2013–2014 में शुरू किया गया, परन्तु निर्माण कार्य अब तक अधूरा है, यदि हाँ तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय भवन का निर्माण पूर्ण कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	आंशिक स्वीकारात्मक है। वस्तु स्थिति यह है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत बेलसंड प्रखंड स्थित माध्यमिक विद्यालय डुमरा का एकरारनामा वित्तीय वर्ष 2016–17 में संपादित किया गया था। कार्यपालक अभियंता–सह–मुख्य परामर्शी (तकनीकी) बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लि0 द्वारा सूचित किया गया है कि वर्तमान में निर्माणाधीन वर्णित विद्यालय भवन की भैतिक स्थिति भूतल के छत तक ईट जोड़ाई कार्य पूर्ण है। संवेदक द्वारा अकारण निर्माण कार्य बाधित रखने के दंडस्वरूप संवेदक को वर्णित विद्यालय भवन निर्माण कार्य के पूर्ण होने तक अगामी सभी निविदाओं में भाग लेने से वंचित (Debar) करने की कार्रवाई की जा रही है। संवेदक द्वारा कार्य पूर्ण नहीं करने की स्थिति में एकरारनामा विखंडित कर शेष कार्य को निविदा के माध्यम से पूर्ण कराया जाएगा।

21.11.19

उप सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 11/वि०स० 5–188/2019–2109 पटना, दिनांक 22-11-2019
प्रतिलिपि :– प्रशाखा पदाधिकारी, बि०वि०स० (के ज्ञाप सं० प्र०–3363 दिनांक–14.11.2019 के आलोक में)/उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

21.11.19

उप सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

अ–131

श्री जफर आलम, माननीय स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–शिक्षा–24	श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार।
प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री शिक्षा (माध्यमिक शिक्षा) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेगें कि :–	
क्या बात सही है कि सहरसा जिलान्तर्गत सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड में स्थित प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय, सिमरी में गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, इतिहास, भूगोल, उर्दू विषयों के शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति नहीं है, यदि हाँ तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय में उक्त विषयों के शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	वस्तुस्थिति यह है कि प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय, सिमरी बख्तियारपुर में माध्यमिक स्तर के विषयवार स्वीकृत 11 पद के विरूद्ध 10 शिक्षक एवं उच्च माध्यमिक स्तर के विषयवार स्वीकृत 11 पद के विरूद्ध 06 शिक्षक कार्यरत है। उच्च माध्यमिक स्तर में अंग्रेजी एवं जन्तु विज्ञान विषय में अतिथि शिक्षक की सेवा ली जा रही है। गणित जन्तु विज्ञान राजनीतिक शास्त्र एवं अर्थशास्त्र विषय में शिक्षको के नियोजन की कार्रवाई छठे चरण नियोजनन्तर्गत प्रक्रियाधीन है। माध्यमिक स्तर में उर्दू विषय का पद अध्यावधि स्वीकृत नहीं है।

25/11/19

उप सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 11/वि०स० 5–184/2019–2213 पटना, दिनांक 25.11.2019
प्रतिलिपि :– प्रशाखा पदाधिकारी, बि०वि०स० (के ज्ञाप सं० प्र०–3366 दिनांक–14.11.2019 के आलोक में)/उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

25/11/19

उप सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ता0-132

श्री शकील अहमद, माननीय स0 वि0 स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0–शिक्षा–33

क्र0 सं0	प्रश्न क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगें कि:–	उत्तर श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा, मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार द्वारा दिये जाने वाला उत्तर:–
1	क्या यह बात सही है कि जामिया उर्दू अलीगढ़ में प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को माननीय सर्वोच न्यायालय द्वारा अवमाननावाद संख्या–297/2007 में पारित आदेश के आलोक में बिहार में शिक्षकों को 34540 कोटि में अभ्यर्थी का चयन वर्ष–2012 में किया गया है .	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी, जमुई के पत्रांक–522 दिनांक–21.11.2019 द्वारा प्राप्त सूचनानुसार जामिया उर्दू अलीगढ़, उत्तर प्रदेश से प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवमाननावाद सं0–297/2007 में पारित आदेश के आलोक में राज्य सरकार के आदेशानुसार 34540 कोटि के अभ्यर्थियों का चयन वर्ष 2012 में किया गया। जमुई जिला में कुल 12 अभ्यथियों का उक्त संस्था के प्रमाण पत्र के आधार पर तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी, जमुई एवं तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), जमुई द्वारा नियुक्ति की गयी थी। संयुक्त सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक–317 दिनांक–09.05.2012 एवं निदेशक, प्रा0 शि0, बिहार, पटना के पत्रांक–356 दिनांक–31.05.2012 के द्वारा NCTE Act लागू होने के बाद 31.12.1996 के बाद जामिया उर्दू अलीगढ़,उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदत प्रशिक्षण की डिग्री को शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु अमान्य किये जाने के कारण तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी, जमुई द्वारा नियुक्ति तिथि से ही नियुक्ति को रद्द कर दिया गया था। संबंधित अभ्यर्थीगण के पुनर्नियुक्ति के अभ्यावेदन पर तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), जमुई द्वारा उक्त 12 अभ्यर्थियों का पुनर्नियुक्ति वर्ष 2017–18 में कर दिया गया। समीक्षोपरान्त इसे पुनः रद्द किया गया है।
2	क्या यह बात सही है कि वर्ष–2012 में जमुई जिला में उक्त प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों का चयन किया गया है, जिसमें मई 2019 में 45 शिक्षकों को सेवा से हटा दिया गया है ;	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। जिला शिक्षा पदाधिकारी, जमुई के पत्रांक–522 दिनांक–21.11.2019 द्वारा प्राप्त सूचनानुसार वर्ष 2012 में जमुई जिला में जामिया उर्दू अलीगढ़, उत्तर प्रदेश से प्रशिक्षण प्राप्त कुल 12 अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र दिया गया था। मई 2019 में कुल 12 अभ्यर्थियों का नियुक्ति विभागीय नियम के विपरीत रहने के कारण संबंधित शिक्षकों की सेवा, पत्र निर्गत की तिथि से जिला प्रारंभिक शिक्षक स्थापना समिति, जमुई के निर्णयानुसार समाप्त किया गया है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों को हटाने का क्या औचित्य है ?	इस खंड का उत्तर उपर्युक्त कंडिका सन्निहित है।

25/11/19

उप सचिव, शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक–7/वि0 मं01–34/2019 1588 पटना/दिनांक– 25/11/19 /

प्रतिलिपि– प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा को पत्रांक–3386 दिनांक–16.11.2019 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

25/11/19

उप सचिव, शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक–7/वि0 मं01–34/2019 1588 पटना/दिनांक– 25/11/19 /

प्रतिलिपि–प्रशाखा पदाधिकारी–1 शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ।

25/11/19

उप सचिव, शिक्षा विभाग।

का० - 133   17

श्रीमती गुलजार देवी, माननीय स० वि० स० द्वारा पृच्छित तारांकित प्रश्न संख्या शिक्षा–28

	प्रश्न क्या मंत्री, शिक्षा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगें कि :–	उत्तर श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग द्वारा दिया जाने वाला उत्तर :–
(1)	क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत मधेपुर प्रखंड स्थित द्वालख पंचायत के प्राथमिक विद्यालय जानकी नगर मुसहरी का भवन जीर्ण–शीर्ण हो जाने के कारण पठन–पाठन बाधित है, यदि हाँ तो सरकार कबतक वर्णित विद्यालय का जीर्णोद्धार कर पठन–पाठन का कार्य शुरू कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	उत्तर अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि मधुबनी जिलान्तर्गत मधेपुर प्रखंड स्थित द्वालख पंचायत के प्राथमिक विद्यालय जानकी नगर मुसहरी में वर्तमान में दो वर्ग कक्ष हैं, जिसमें पठन–पाठन चल रहा है। कोशी नदी का जल–जमाव विद्यालय में होने के कारण विद्यालय का पुराना भवन का कुछ भाग जीर्ण–शीर्ण हो गया है। समग्र शिक्षा अभियान अन्तर्गत उक्त विद्यालय के लिए वित्तीय वर्ष 2018–19 में रू० 50,000/– (पचास हजार रूपये) निर्गत किया गया है तथा बिहार शिक्षा परियोजना, मधुबनी कार्यालय के पत्रांक 2866 दिनांक 20.11.2019 द्वारा उक्त राशि से विद्यालय का जीर्णोद्धार कार्य कराने हेतु विद्यालय शिक्षा समिति, प्राथमिक विद्यालय जानकी नगर, मुसहरी, मधेपुर को निदेशित किया गया है।

उप सचिव
शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक 06/वि० 01–89/2019......1344..../   पटना, दिनांक 26/11/19/

प्रतिलिपि :– प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उप सचिव
शिक्षा विभाग।

NT-135

श्री राम बालक सिंह, माननीय स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–शिक्षा–45	श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार।
प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री शिक्षा (माध्यमिक शिक्षा) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेगें कि :–	
क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के विभूतिपुर विधान सभा क्षेत्र के विभूतिपुर प्रखण्ड के श्री धाना सिंह कुशवाहा बालिका उच्च विद्यालय सिंघिया घाट एवं उच्च विद्यालय सरसोना 10+2 में उत्क्रमण हेतु सभी अर्हता रखता है, यदि हाँ तो सरकार कबतक उक्त विद्यालयों का +2 में उत्क्रमित करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	आंशिक स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि समस्तीपुर जिला के विभूतिपुर विधान सभा क्षेत्र के विभूतिपुर प्रखण्ड के श्री धाना सिंह कुशवाहा बालिका उच्च विद्यालय सिंघिया घाट में शैक्षणिक सत्र 2020–2022 से +2 स्तर के पठन–पाठन सुनिश्चित करने हेतु विभागीय पत्रांक–2205 दिनांक–25.11.2019 द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी, समस्तीपुर को निदेशित किया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी, समस्तीपुर के कार्यालय के पत्रांक–606 दिनांक–21.11.2019 से प्राप्त सूचना के अनुसार विभूतिपुर प्रखण्ड में उच्च विद्यालय सरसोना नाम का कोई उच्च विद्यालय अवस्थित नहीं है। अपितु उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय, बसौना, भुसवरी अवस्थित है। इस विद्यालय में भी शैक्षणिक सत्र 2020–2022 से +2 स्तर की शिक्षा प्रदान करने हेतु आवश्यक तैयारी करने का निदेश दिया गया है।

उप सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 11/वि०स० 5–198/2019–2218 पटना, दिनांक 25.11.2019
प्रतिलिपि :– प्रशाखा पदाधिकारी, बि०वि०स० (के ज्ञाप सं० प्र०–3406 दिनांक–18.11.2019 के आलोक में)/उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उप सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ता॰ - 136

श्री अचमित ऋषिदेव, माननीय स० वि० स० द्वारा पृच्छित तारांकित प्रश्न संख्या शिक्षा–05

	प्रश्न क्या मंत्री, शिक्षा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगें कि :–	उत्तर श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग द्वारा दिया जाने वाला उत्तर :–
(1)	क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज प्रखण्ड के नवसृजित प्राथमिक विद्यालय भूमि ऋषिदेव टोला कोशिकापुर एवं नवसृजित प्राथमिक विद्यालय रायटोला मलिनिया में कक्षा–1 से 5 तक नामांकित बच्चों के बैठने के लिए बेंच–डेस्क उपलब्ध नहीं है, यदि हाँ तो सरकार कबतक नवसृजित प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को बैठने के लिए बेंच–डेस्क उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	1. वस्तुस्थिति यह है कि वर्तमान में नवसृजित प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1–5 तक के बच्चों के लिए बेंच–डेस्क का प्रावधान नहीं है। 2. प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को खेल, गीत, कविता, कहानी एवं अन्य गतिविधियों के माध्यम से शिक्षित किया जाता है। इस हेतु दरी या मैट पर बैठने की व्यवस्था की जाती है। सभी विद्यालयों को निदेश है कि 1–5 की कक्षाओं में दरी, मैट पर बैठने की सुविधा बच्चों को दी जाए। बेंच–डेस्क की सुविधा वर्ग 6 एवं उसके ऊपर की कक्षाओं के लिए दी जाती है।

25/11/19

उप सचिव
शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक 06/वि० 01–87/2019......1352....../ पटना, दिनांक ...25/11/19

प्रतिलिपि :– प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

25/11/19

उप सचिव
शिक्षा विभाग।

ता॰ - 137

श्री सुदामा प्रसाद, माननीय स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–शिक्षा–01	श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार।
प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री शिक्षा (माध्यमिक शिक्षा) विभाग, यह बतलाने की कृपा करगें कि :–	
क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिला के तरारी विधान सभा के सहार प्रखण्ड के अमहरूआ पंचायत में उच्च विद्यालय नहीं रहने से वहाँ के छात्र/छात्राओं को पठन–पाठन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है यदि हॉ तो सरकार कब तक अमहरूआ में अवस्थित मध्य विद्यालय को उच्च विद्यालय में उत्क्रमित करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय संकल्प संख्या–1021 दिनांक–05.07.2013 के द्वारा राज्य सरकार का यह निर्णय संसूचित है कि सभी पंचायतों को एक–एक उच्च माध्यमिक विद्यालय से आच्छादित किया जाएगा। भूमि संबंधित निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप भूमि की अनुपलब्धता के कारण वर्तमान में 2950 पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना नहीं की जा सकी है। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत इन पंचायतों में चिन्हित मध्य विद्यालयों में वर्ग–9 का संचालन अप्रैल 2020 से प्रारंभ करने की योजना पर विभाग कार्य कर रहा है। इसके तहत राज्य के सभी वैसे माध्यमिक विद्यालय विहिन पंचायतों का सर्वेक्षण कर मध्य विद्यालय को चिन्हित करने की कार्रवाई के तहत अमहरूआ पंचायत में मध्य विद्यालय कोशियर को दिनांक–01.04.2020 से वर्ग नवम् की पढ़ाई शुरू करने हेतु जिला द्वारा चिन्हित किया गया है। निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप भूमि उपलब्ध होने पर चिन्हित मध्य विद्यालय का उत्क्रमण उच्च माध्यमिक विद्यालय में किया जा सकेगा।

25/11/19

उप सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 11/वि०स० 5–174/2019–2219 पटना, दिनांक 25.11.2019
प्रतिलिपि :– प्रशाखा पदाधिकारी, बि०वि०स० (के ज्ञाप सं० प्र०–3320 दिनांक–08.11.2019 के आलोक में)/उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

25/11/19

उप सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ता॰ - 138

107

ी सुबोध राय, माननीय स॰ वि॰ स॰ द्वारा पृच्छित तारांकित प्रश्न संख्या शिक्षा–31

	प्रश्न क्या मंत्री, शिक्षा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगें कि :–	उत्तर श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग द्वारा दिया जाने वाला उत्तर :–
(1)	क्या बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत शाहकुंड प्रखंड के भूलनी पंचायत के चकनारायणपुर महादलित ग्राम में स्थित विद्यालय का नाम 'मध्य विद्यालय चकचमारी' अंकित है, जो जाति सूचक है, यदि हाँ तो सरकार उक्त विद्यालय के नाम में अंकित 'चकचमारी' शब्द हटाकर उसकी जगह अन्य नाम करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उत्तर स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि भागलपुर जिलान्तर्गत शाहकुंड प्रखंड के भूलनी पंचायत के चकनारायणपुर महादलित ग्राम में स्थित विद्यालय का नाम 'मध्य विद्यालय चकचमारी' अंकित है, जो जाति सूचक है। जिला शिक्षा पदाधिकारी, भागलपुर के ज्ञापांक 2393 दिनांक 23.11.2019 द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग की अनुशंसा के आधार पर विभागीय निदेश के आलोक में उक्त विद्यालय का नाम 'मध्य विद्यालय चकचमारी' के स्थान पर 'मध्य विद्यालय अनुसूचित टोला' किया गया है।

25/11/19

उप सचिव
शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक 06/वि॰ 01–91/2019 1351 /

पटना, दिनांक 25/11/19 /

प्रतिलिपि :– प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

25/11/19

उप सचिव
शिक्षा विभाग।

ता॰ 149

श्री डॉ॰ रामानुज प्रसाद, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या शिक्षा–34 का उत्तर सामग्री :–

माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा द्वारा पुछे गये प्रश्न	उत्तर सामग्री
क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति बिहार, पटना अंतर्गत कार्यरत ए.पी.सी (सहायक कार्यक्रम प्रबंधक) जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला समन्वयक, लेखापाल सह डाटा इंट्री ऑपरेटर, कार्यपालक सहायक, विगत 7 वर्षों से एक ही स्थान पर कार्यरत है, जबकि नियमानुसार 3 वर्षों में ही स्थानांतरण का प्रावधान है, यदि हाँ तो इसका क्या औचित्य है ?	बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति, बिहार पटना में राज्य स्तर से लेकर प्रखंड स्तर तक सभी पदाधिकारी/कर्मचारी अनुबंध पर कार्यरत है। बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश में यह बाध्यता नहीं है कि बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति बिहार, पटना अंतर्गत कार्यरत ए.पी.सी (सहायक कार्यक्रम प्रबंधक) जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला समन्वयक, लेखापाल सह डाटा इंट्री ऑपरेटर का स्थानान्तरण तीन वर्षों पर ही किया जाये। आवश्यकता अनुसार पदाधिकारी/कर्मचारी का स्थानान्तरण किया जाता है। कार्यपालक सहायक का नियोजन एवं स्थानान्तरण जिला पदाधिकारी द्वारा किया जाता है। नियोक्ता जिला पदाधिकारी है। निदेशालय पत्रांक 652 दिनांक 25.03.2017 द्वारा सभी जिला पदाधिकारी से अनुरोध किया गया है कि तीन वर्षों होने के उपरान्त एक विभाग से दूसरे विभाग में कार्यपालक सहायक का स्थानान्तरण किया जाय।

25/11/19

उप सचिव,
शिक्षा विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 2702 / दिनांक– 25/11/2019

प्रतिलिपि–उप सचिव, बिहार विधान सभा को 05 (पाँच) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/11/19

उप सचिव,
शिक्षा विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 2702 / दिनांक– 25/11/2019

प्रतिलिपि–प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–1 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/11/19

उप सचिव,
शिक्षा विभाग
बिहार, पटना।

ता॰ 151

श्रीमती लेशी सिंह, माननीय स० वि० स० द्वारा पृच्छित तारांकित प्रश्न संख्या शिक्षा–51

	प्रश्न क्या मंत्री, शिक्षा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगें कि :–	उत्तर श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग द्वारा दिया जाने वाला उत्तर :–
(1)	क्या यह बात सही है कि पूर्णिया जिलान्तर्गत धमदाहा प्रखण्ड के रंगपुरा दक्षिण पंचायत के सितिया आदिवासी टोला तथा बिशुनपुर पंचायत के सिकटाहा आदिवासी टोला में प्राथमिक विद्यालय नहीं होने से बच्चे प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने से वंचित हो रहे हैं, यदि हाँ तो सरकार कबतक उक्त आदिवासी बाहुल्य ग्रामों में प्राथमिक विद्यालय की स्थापना करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि पूर्णिया जिला अन्तर्गत धमदाहा प्रखंड के रंगपुरा दक्षिण पंचायत के सितिया आदिवासी टोला के बच्चे शिक्षा ग्रहण करने हेतु वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय सवैया संथाल (01 किलोमीटर) एवं प्राथमिक विद्यालय लोहजर (1.2 किलोमीटर) जाते हैं। बिशनपुर पंचायत के सिकटाहा आदिवासी टोला के बच्चे मध्य विद्यालय विष्णुपुर (1.2 किलोमीटर), मध्य विद्यालय महेन्दनगर दियरा (1.6 किलोमीटर) शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं। ज्ञातव्य हो कि 800 मीटर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय, तुलसी कुड़िया अवस्थित है। स्टेट हाईवे होने के कारण बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए नहीं जाते हैं।

25.11.19

उप सचिव
शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक 06/वि० 01–94/2019....1346..../ पटना, दिनांक 25/11/19/

प्रतिलिपि :– प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

25.11.19

उप सचिव
शिक्षा विभाग।

ता॰ - 152

... विद्या सागर केशरी, माननीय स० वि० स० द्वारा पृच्छित तारांकित प्रश्न संख्या शिक्षा–52

	प्रश्न क्या मंत्री, शिक्षा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगें कि :–	उत्तर श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग द्वारा दिया जाने वाला उत्तर :–
(1)	क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत नगर पंचायत जोगवनी के मध्य विद्यालय, खजुरबाड़ी बरसात के दिनों में तीन माह विद्यालय परिसर एवं भवन पूरी तरह पानी से भरा रहता है, जिस कारण विद्यालय बंद रहने से छात्र/छात्राओं का पठन–पाठन प्रभावित होता है, यदि हाँ तो सरकार कबतक विद्यालय भवन एवं परिसर का जीर्णोद्धार करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि अररिया जिलान्तर्गत नगर पंचायत जोगवनी के मध्य विद्यालय, खजुरबाड़ी के परिसर में मिट्टी भराई एवं उसके जीर्णोद्धार हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी, अररिया के द्वारा प्राक्कलन तैयार कर मनरेगा को प्रस्ताव भेजा जा रहा है एवं विद्यालय भवन जीर्णोद्धार हेतु कनीय अभियंता समग्र शिक्षा, अररिया को प्राक्कलन तैयार करने हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी, अररिया द्वारा निदेश दिया गया है। प्राक्कलन प्राप्ति के उपरांत भवन जीर्णोद्धार की कार्रवाई पूर्ण की जायेगी।

25.11.19

उप सचिव
शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक 06/वि० 01–98/2019......1354..../ पटना, दिनांक 25/11/19/

प्रतिलिपि :– प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

25.11.19

उप सचिव
शिक्षा विभाग।

ता0-153

डॉ0 अब्दुल गफूर माननीय स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–शिक्षा–44	श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार।
प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री शिक्षा (माध्यमिक शिक्षा) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेगें कि :–	
क्या यह बात सही है कि सहरसा जिला अंतर्गत उच्च विद्यालय पंचगछिया में वर्ग कक्ष के अभाव में छात्र/छात्राओं को पठन–पाठन में कठिनाई होती है, यदि हाँ तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय में अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि उच्च विद्यालय, पंचगछिया में कुल 10 कमरें है। जिसमें 06 कमरा वर्ग कक्ष के रूप में, 02 कमरा प्रयोगशाला के रूप में, 01 कमरा स्मार्ट क्लास के रूप में एवं 01 कमरा प्रधानाध्यापक कक्ष के रूप में उपयोग में लाया जा रहा है। संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि 12वीं वित्त आयोग द्वारा +2 भवन निर्माण हेतु 04 कमरों का निर्माण कार्य भवन कराया गया था, जिसमें 02 कमरा भूतल पर छत ढलाई तक का ही कार्य किया गया है, शेष कार्य लम्बित है। उक्त के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, सहरसा को लंबित निर्माण कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कर लेने का निदेश दिया गया है।

25/11/19

उप सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 11/वि०स० 5–193/2019–2215 पटना, दिनांक 25.11.2019
प्रतिलिपि :– प्रशाखा पदाधिकारी, बि०वि०स० (के ज्ञाप सं० प्र०–3405 दिनांक–18.11.2019 के आलोक में)/उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

25/11/19

उप सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

41154

श्री सत्यदेव सिंह, माननीय स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–शिक्षा–39	श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार।
प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री शिक्षा (माध्यमिक शिक्षा) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेगें कि :–	
क्या यह बात सही है कि अरवल जिला के करपी प्रखण्ड के ग्राम रोहाई स्थित +2 राजकीय उच्च विद्यालय, रोहाई में पॉच सौ छात्र/छात्राओं के पठन–पाठन हेतु मात्र दो कमरे उपलब्ध है, साथ ही उक्त विद्यालय में चाहरदिवारी का भी निर्माण नहीं हुआ है, यदि हाँ तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय में छात्र/छात्राओं के अनुपात में कमरे एवं चाहरदिवारी का निर्माण कराने का विचार रखती है, नही तो क्यों ?	आंशिक स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि प्रसंगाधीन विद्यालय में छात्र/छात्राओं के पठन हेतु 03 वर्ग कक्ष उपलब्ध है। विभागीय पत्रांक–2094 दिनांक–21.11.2019 द्वारा प्रश्नगत विद्यालय का स्थलीय निरीक्षण उपरांत आवश्यक आधारभूत संरचना (चाहरदीवारी सहित) निर्माण हेतु प्राक्कलन उपलब्ध कराने का निदेश प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लि० को दिया गया है। प्राक्कलन प्राप्त होने के उपरांत अनुवर्ती कार्रवाई की जायेगी।

22/11/19

उप सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 11/वि०स० 5–195/2019–2098 पटना, दिनांक 22-11-2019

प्रतिलिपि :– प्रशाखा पदाधिकारी, बि०वि०स० (के ज्ञाप सं० प्र०–3400 दिनांक–18.11.2019 के आलोक में)/उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22/11/19

उप सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

नं॰ 158

श्री रामदेव यादव, स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या शिक्षा —04	श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग, बिहार।
प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :—	
1. क्या यह बात सही है कि बांका जिलान्तर्गत कन्या प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय बेलहर 35 वर्ष पूर्व मुजफ्फरपुर जिला के सकरा प्रखण्ड से स्थानान्तरित होकर बेलहर में स्थापित हुआ था;	वस्तुस्थिति यह है कि बांका जिलान्तर्गत बेलहर प्रखंड को 1984—85 चरण के परियोजना विद्यालय की स्थापना हेतु चयनित किया गया था;परन्तु बेलहर में परियोजना विद्यालय स्थापित नहीं होने के कारण अधिसूचना संख्या—52पी॰, दिनांक 19.02.2009 एवं 305पी॰, दिनांक 18.12.2009 के द्वारा वर्ष 1984—85 चरण के 211 विद्यालयों की सूची में यह विद्यालय सम्मिलित नहीं है। साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या—6626—6675 / 2001 में पारित न्यायादेश के आलोक गठित त्रिसदस्यीय समिति की अनुशंसा पर ही वर्ष 1984—85 चरण के परियोजना विद्यालयों के शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मियों को सेवा—मान्यता दी जानी थी। त्रिसदस्यीय समिति द्वारा अपनी अनुशंसा में यह अंकित किया गया कि **किसी स्तर से दावा प्राप्त नहीं**। बाद में त्रिसदस्यीय समिति द्वारा प्रतिवेदन समर्पित होने के पश्चात् तथाकथित शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मियों द्वारा मान्यता का दावा विभाग के समक्ष समर्पित किया गया था; जिसे नियमान्तर्गत मान्य नहीं होने के कारण ज्ञापांक 131पी॰, दिनांक 19.04.2010 के द्वारा अस्वीकृत किया गया।
2. क्या यह बात सही है कि वर्ष—2017 से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा उक्त कन्या प्रोजेक्ट विद्यालय बेलहर,बंका की मान्यता रद्द कर दी गयी है, जिसके कारण हजारों बालिकाओं का पठन—पाठन बाधित हो गयी है;	वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय अधिसूचना संख्या—52पी॰, दिनांक 19.02.2009 एवं 305पी॰, दिनांक 18.12.2009 में अधिसूचित 211 विद्यालयों की सूची में प्रश्नगत् विद्यालय का नाम नहीं होने के कारण इस विद्यालय को परियोजना विद्यालय को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना द्वारा विद्यालय कोड आवंटित नहीं की गयी।
यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार अनियमित रूप से मान्यता रद्द करने के मामले की जाँच कराते हुए उक्त कन्या प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय बेलहर की पुनः मान्यता बहाल करने का विचार रखती है; हाँ तो कबतक, नही तो क्यों ?	उपर्युक्त खंडों में उत्तर सन्निहित हैं।

25/11/19

(उप सचिव)
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना

<u>शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।</u>

ज्ञापांक— वि.मं.को. / प्र.—16 / 2019 ....2553 पटना, दिनांक 25/11/2019

प्रतिलिपि:— प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा के ज्ञापांक 3330, दिनांक 11.11.209 के प्रसंग में / उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा—1, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/11/19

(उप सचिव)
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना

ता• 159

श्री सैयद अबु दौजाना, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या शिक्षा–11 का उत्तर सामग्री :–

माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा द्वारा पुछे गये प्रश्न	उत्तर सामग्री
1. क्या यह बात सही है कि राज्य स्तर पर सरकार द्वारा प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में वर्ष 2018 में अंकुरण योजना लागू किया गया है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के सुरसंड विधान सभा क्षेत्र के विद्यालयों में अभी तक अंकुरण योजना लागू नहीं किया गया है;	अस्वीकारात्मक। वर्ष 2018 में जिला के सुरसंड विधान सभा क्षेत्र के कुल 137 विद्यालयों में से 26 विद्यालयों में अंकुरण योजना क्रियान्वित किया गया।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सुरसंड विधान सभा क्षेत्र के प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में अंकुरण योजना लागू कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	वर्तमान वर्ष में जिला के कुल 639 विद्यालयों में अंकुरण परियोजना के क्रियान्वयन का प्रस्ताव है, जिसमें सुरसंड विधान सभा क्षेत्र के कुल 90 विद्यालय प्रस्तावित है।

25.11.19

उप सचिव,
शिक्षा विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–2700 / दिनांक– 25/11/2019

प्रतिलिपि–उप सचिव, बिहार विधान सभा को 05 (पाँच) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25.11.19

उप सचिव,
शिक्षा विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–2700 / दिनांक– 25/11/2019

प्रतिलिपि–प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–1 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25.11.19

उप सचिव,
शिक्षा विभाग
बिहार, पटना।

ता० - 160

श्री प्रभुनाथ प्रसाद, माननीय स० वि० स० द्वारा पृच्छित तारांकित प्रश्न संख्या शिक्षा–41

	प्रश्न क्या मंत्री, शिक्षा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगें कि :–	उत्तर श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग द्वारा दिया जाने वाला उत्तर :–
(1)	क्या यह बात सही है कि सीवान जिलान्तर्गत दरौली प्रखण्ड के बलहो कुर्मी टोला गाँव में प्राथमिक विद्यालय निर्माण हेतु 6 कट्ठा जमीन का निबंधन दिनांक 11.08.2009 को महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम से किया गया है;	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि सीवान जिलान्तर्गत दरौली प्रखण्ड के बलहो कुर्मी टोला गाँव की जनता के द्वारा उक्त भूमि को स्वतः निबंधित कराया गया है। इसमें शिक्षा विभाग की स्वीकृति प्राप्त नहीं है।
(2)	क्या यह बात सही है कि उक्त प्राथमिक विद्यालय के निर्माण हेतु दरौली प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं सीवान तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा वर्ष–2010–11 में जमीन की मापी की गई लेकिन आज तक उक्त विद्यालय निर्माण हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई हैं;	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि वित्तीय वर्ष 2013–14 के हैबिटेशन सर्वे के आलोक में दरौली प्रखण्ड स्थित बलहो कुर्मी टोला, मध्य विद्यालय संस्कृत रामनगर से आच्छादित है। उक्त विद्यालय से बलहो कुर्मी टोला 800 मीटर की दूरी पर स्थित है। विभागीय नियम के अनुसार पोषक क्षेत्र से 01 किलोमीटर के अंतर्गत प्राथमिक/मध्य विद्यालय अवस्थित होने की स्थिति में उस बसाव क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय खोलने का प्रावधान नहीं है। अतः दरौली प्रखंड स्थित बलहो कुर्मी टोला में नया प्राथमिक विद्यालय नहीं खोला गया है।
(3)	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो सरकार कबतक उक्त ग्राम में प्राथमिक विद्यालय का निर्माण कराने का विचार रखती हैं, नहीं तो क्यों ?	अस्वीकारात्मक। उक्त टोला में प्राथमिक विद्यालय का निर्माण करने की आवश्यकता प्रावधानानुसार नहीं है।

25.11.19

उप सचिव
शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक 06/वि० 01–92/2019.....1350...../ पटना, दिनांक 25/11/19/

प्रतिलिपि :– प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

25.11.19

उप सचिव
शिक्षा विभाग।

ता० 161

श्री आनन्द शंकर सिंह, माननीय स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–शिक्षा–16		श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार।
प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री शिक्षा (माध्यमिक शिक्षा) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेगें कि :–		
	क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला में जिला शिक्षा कार्यालय का अपना भवन नहीं है, जबकि अनुग्रह इंटर कॉलेज द्वारा शिक्षा भवन के लिए भूमि भी उपलब्ध कराया जा चुका है, यदि हाँ तो सरकार कबतक उक्त उपलब्ध भूमि पर जिला शिक्षा कार्यालय का भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	उत्तर स्वीकारात्मक है। जिला शिक्षा पदाधिकारी, औरंगाबाद द्वारा शिक्षा भवन के निर्माण हेतु अभिलेख विभाग को उपलब्ध कराया गया है जिसकी समीक्षा की जा रही है। समीक्षोंपरान्त शिक्षा भवन का निर्माण कार्य शीघ्र कराया जाएगा।

22/11/19

उप सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 11/वि०स० 5–179/2019–2100 पटना, दिनांक 22. 11. 2019
प्रतिलिपि :– प्रशाखा पदाधिकारी, बि०वि०स० (के ज्ञाप सं० प्र०–3351 दिनांक–14.11.2019 के आलोक में)/उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22/11/19

उप सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

AT-163

श्रीमती गुलजार देवी, माननीय स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–शिक्षा–26		श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार।
प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री शिक्षा (माध्यमिक शिक्षा) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेगें कि :–		
1.	क्या बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत घोघरडीहा प्रखंड में बाबूदाय अन्नपुर्णा कन्या प्रोजेक्ट +2 उच्च विद्यालय, घोघरडीहा में भवन के अभाव में पठन–पाठन का कार्य बाधित है;	उत्तर स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि मधुबनी जिलान्तर्गत घोघरडीहा प्रखंड में अन्नपुर्णा बाबू झा कन्या प्रोजेक्ट +2 उच्च विद्यालय, घोघरडीहा में कुल छः कमरा है, जो जर्जर है। वित्तीय वर्ष 2006–07 में सम विकास योजना में निर्मित कुल चार कमरा प्रारंभ कर छत ढ़लाई तक कार्य सम्पादित किया गया है जो वर्तमान में जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है।
2.	क्या यह बात सही है कि वर्ष–2006–07 में सम विकास की राशि से निर्माणाधीन भवन का कार्य अब तक अधूरा है;	
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार वर्णित विद्यालय का भवन का निर्माण कार्य पूर्ण कर पठन–पाठन सुचारू रूप से संचालित करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	वित्तीय वर्ष 2017–18 में उक्त विद्यालय में दो नये वर्ग कक्ष विघटित राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत स्वीकृत थे। समग्र शिक्षा अभियान में भी दो वर्ग कक्ष निर्माण की स्वीकृति प्राप्त है, परन्तु आवंटन प्राप्त नहीं रहने के कारण निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना को प्रश्नाधीन विद्यालय में भवन निर्माण का कार्य पूर्ण करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश विभागीय पत्रांक–2209 दिनांक–25.11.2019 द्वारा दिया गया है।

25/11/19

उप सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 11/वि०स० 5–185/2019–2217 पटना, दिनांक 25.11.2019
प्रतिलिपि :– प्रशाखा पदाधिकारी, बि०वि०स० (के ज्ञाप सं० प्र०–3368 दिनांक–14.11.2019 के आलोक में)/उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

25/11/19

उप सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

न्‍ता० 164

श्रीमती लेशी सिंह, माननीयं स० वि० स० द्वारा पृच्छित तारांकित प्रश्न संख्या शिक्षा–50

	प्रश्न क्या मंत्री, शिक्षा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगें कि :–	उत्तर श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग द्वारा दिया जाने वाला उत्तर :–
(1)	क्या यह बात सही है कि पूर्णिया जिलान्तर्गत के० नगर प्रखण्ड के बिठनौली पश्चिम पंचायत स्थित रोश्का कोसकागढ़ महादलित टोला तथा रहिका टोला में प्राथमिक विद्यालय नहीं होने से बच्चों को प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने में कठिनाई हो रही है, यदि हाँ तो सरकार कबतक उक्त ग्रामों में प्राथमिक विद्यालय स्थापित करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि पूर्णिया जिला अन्तर्गत के० नगर प्रखंड के बिठनौली पश्चिम पंचायत स्थित रोश्का कोसकागढ़ एवं रहिका टोल, बनियापट्टी में पूर्व से ही विद्यालय संचालित है। संचालित विद्यालय का नाम क्रमशः प्राथमिक विद्यालय रोसका कोसकागढ़ एवं प्राथमिक विद्यालय ठाकुर स्थान, बनियापट्टी है, सम्प्रति विभागीय निदेशानुसार भूमिहीन एवं भवनहीन होने के कारण इन्हें क्रमशः प्राथमिक विद्यालय चैथड़ियापीर एवं मध्य विद्यालय बनियापट्टी में संबद्ध कर संचालित किया जा रहा है।

25.11.19

उप सचिव
शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक 06/वि० 01–95/2019.....1345/ पटना, दिनांक 25/11/19/

प्रतिलिपि :– प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

25.11.19

उप सचिव
शिक्षा विभाग।

तारा०-166

श्री राम बालक सिंह, माननीय स० वि० स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं०-शिक्षा-46

प्रश्न क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगें कि:-	उत्तर श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा, मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार द्वारा दिये जाने वाला उत्तर:-
क्या यह बात सही है कि शिक्षा विभाग , बिहार, पटना के पत्रांक-1388 दिनांक-09.12.2015 एवं विज्ञापन सं0-210/2010 के आलोक में सहायक प्राथमिक शिक्षक के शेष 2213 रिक्त पदों पर नियुक्ति की जानी थी, किन्तु मात्र 1960 अभ्यर्थियों की अनुशंसा की गई है, यदि हाँ तो सरकार कबतक शेष 253 रिक्त पदों पर अनुशंसा कर अभ्यर्थियों की नियुक्ति करने का विचार रखती है, नही तो क्यों ?	स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि विज्ञापन सं0-210/2010 के अंतर्गत अवशेष रिक्त 2213 रिक्त पदों में से उर्दू विषय के 9 रिक्तियों को छोड़कर (2213-09) कुल 2204 रिक्त पदो के विरूद्व योग्य अभ्यर्थियों की अनुशंसा की मांग बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार, पटना से की गयी थी जिसके विरूद्व आयोग के पत्रांक-1297 दिनांक-23.05.2019 द्वारा 1960 योग्य अभ्यर्थियों की अनुशंसा प्राप्त हुई। अनुशंसित कुल 1960 अभ्यर्थियों के काउंसेलिंग एवं नियुक्ति हेतु संबंधित जिला को निदेशित कर दिया गया है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के पत्रांक-2998 दिनांक-23.11.2019 द्वारा प्राप्त सूचनानुसार (2204-1960) कुल शेष 244 अभ्यर्थियों के अभिलेख उपलब्ध न होने के कारण इन अभ्यर्थियों की सूची आयोग के वेब साईट पर अपलोड करते हुए दिनांक-27.05.2019 तथा 28.05.2019 को सभी कागजातों के साथ काउंसेलिंग हेतु आमंत्रित किया गया। काउंसेलिग में 244 अभ्यर्थियों में से 198 अभ्यर्थी उपस्थित रहे तथा 46 अनुपस्थित रहें। कुल-198 उपस्थित अभ्यर्थियों के कागजतों की जांच की जा रही है। जांच की प्रक्रिया समाप्त होने के पश्चात योग्य पाये गये अभ्यर्थियों की अनुशंसा अधियाची विभाग को प्रेषित कर दी जायेगी। अतः कर्मचारी चयन आयोग, बिहार, पटना से शेष कुल 244 अभ्यर्थियों की अनुशंसा प्राप्त होते ही अनुवर्ती कार्रवाई की जायेगी।

24/11/19

उप सचिव, शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक-7/वि0 मं01-35/2019 1587 पटना/दिनांक- 25/11/19 /

प्रतिलिपि- प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा को पत्रांक-3407 दिनांक-18.11.2019 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

24/11/19

उप सचिव, शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक-7/वि0 मं01-35/2019 1587 पटना/दिनांक- 25/11/19 /

प्रतिलिपि-प्रशाखा पदाधिकारी-1 शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ।

24/11/19

उप सचिव, शिक्षा विभाग।

ता० 167

श्री मो0 अफाक आलम, माननीय स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–शिक्षा–03		श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार।
प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री शिक्षा (मांध्यमिक शिक्षा) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेगें कि :–		
	क्या यह बात सही है कि पूर्णिया जिलान्तर्गत जलालगढ़ प्रखण्ड के चक महियारपुर पंचायत के मध्य विद्यालय महियारपुर को उच्च विद्यालय में उत्क्रमित हुए तीन वर्ष बीत जाने के बावजूद उक्त भवन निर्माण नहीं होने के कारण छात्र/छात्राओं को पठन–पाठन में कठिनाई हो रही है, यदि हॉं तो सरकार उक्त उत्क्रमित उच्च विद्यालय का भवन निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय संकल्प संख्या–1021 दिनांक–05.07.2013 के द्वारा राज्य सरकार का यह निर्णय संसूचित है कि सभी पंचायतों को एक–एक उच्च माध्यमिक विद्यालय से आच्छादित किया जाएगा। उक्त संकल्प के आलोक में उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों का आधारभूत संरचना निर्माण राज्य संसाधन की उपलब्धता को दृष्टिपथ में रखकर क्रमिक रूप से किया जाता है। अभी तक वित्तीय वर्ष 2015–16 में उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों के आधारभूत संरचना निर्माण हेतु राशि कार्यकारी एजेंसी को उपलब्ध कराई गयी है। प्रश्नगत विद्यालय का उत्क्रमण विभागीय आदेश ज्ञापांक–1210 दिनांक–26.07.2018 के द्वारा किया गया है, जिसके आधारभूत संरचना निर्माण हेतु तत्काल राशि स्वीकृत नहीं की जा सकी है। अतः राज्य संसाधन की उपलब्धता के उपरांत प्रश्नगत विद्यालय के आधारभूत संरचना निर्माण की अनुवर्ती कार्रवाई की जायेगी।

22/11/19

उप सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 11/वि०स० 5–175/2019–2104 पटना, दिनांक 22-11-2019

प्रतिलिपि :– प्रशाखा पदाधिकारी, बि०वि०स० (के ज्ञाप सं० प्र०–3329 दिनांक–11.11.2019 के आलोक में)/उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22/11/19

उप सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ता० 170

श्री अशोक कुमार सिंह, माननीय स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–शिक्षा–22		श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार।
प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री शिक्षा (माध्यमिक शिक्षा) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेगें कि :–		
	क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत मदनपुर प्रखण्ड के +2 उच्च विद्यालय, घटराईन का भवन जीर्ण–शीर्ण स्थिति में रहने के कारण छात्र/छात्राओं को पठन–पाठन में कठिनाई होती है, यदि हाँ तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय का भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	आंशिक स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत विद्यालय में 03 वर्गकक्ष उपलब्ध है। अन्य जीर्ण–शीर्ण वर्गकक्ष के स्थान पर अतिरिक्त वर्गकक्ष निर्माण हेतु विभागीय पत्रांक–2092 दिनांक–21.11.2019 द्वारा प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना को प्राक्कलन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

22/11/19

उप सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 11/वि०स० 5–187/2019–2111 पटना, दिनांक 22-11-2019
प्रतिलिपि :– प्रशाखा पदाधिकारी, बि०वि०स० (के ज्ञाप सं० प्र०–3364 दिनांक–14.11.2019 के आलोक में)/उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22/11/19

उप सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ता० 171

मो० नवाज आलम, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 26.11.2019 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–शिक्षा–30	माननीय मंत्री श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, शिक्षा विभाग द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, शिक्षा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि	-
1. क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिला अन्तर्गत आरा के तपेश्वर सिंह इन्दु महिला कॉलेज के सह अध्यक्ष, जन प्रतिनिधि हेतु अभिषद् की बैठक दिनांक–21.06.2017 के मद सं०–09 में लिये निर्णय के आलोक में वीर कुँवर सिंह वि०वि०, आरा के ज्ञापांक–C/1557/Estab/17, दिनांक 10.08.17 के द्वारा तदर्थ समिति का गठन कर अध्यक्ष मनोनित किया गया ;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त निर्णय के बाद भी जन प्रतिनिधि–सह–अध्यक्ष के रूप में किसी अन्य को जन प्रतिनिधि तपेश्वर सिंह इन्दु महिला कॉलेज का जन प्रतिनिध सह–अध्यक्ष नियुक्त किया गया तथा इस संबंध में कुलसचिव, वीर कुँवर सिंह वि०वि०,आरा के पत्रांक–C/2413/Estab/19 दिनांक 30.08.19 द्वारा सूचित किया गया कि यह त्रुटि विश्वविद्यालय की है ;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त विषय की जॉच कराकर दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हॉ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	विश्वविद्यालय के प्रतिवेदनानुसार वस्तु स्थिति यह है कि विश्वविद्यालय के अधिसूचना संख्या–C/43/Estab/16 दिनांक 09.01.2016 के द्वारा डा० मो० नवाज आलम, माननीय स०वि०स० को एक कालावधि(2016–18) के लिए तपेश्वर सिंह इंदु महाविद्यालय भोजपूर, आरा के शासी निकाय की बैठक में भाग लेने हेतु जनप्रतिनिधि नामित किया गया है। पुनः विश्वविद्यालय के पत्रांक C/1557/Estab/17 दिनांक 10.08.2017 के द्वारा मो० नवाज आलम, माननीय स०वि०स० को इस महाविद्यालय के लिए गठित तदर्थ समिति का सह अध्यक्ष नामित किया गया हैं। इसके पश्चात् वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा के पत्रांक C/2417/Estab/18 दिनांक 15.09.2018 द्वारा डा० संजीव श्याम सिंह माननीय स०वि०प० को एक कालवधि सत्र (2018–21) के लिए जनप्रतिनिधि मनोनीत किया गया हैं।

	विश्वविद्यालय के प्रतिवेदनानुसार विश्वविद्यालय के अधिसूचना संख्या C/43/Estab/16 दिनांक 09.01.2016 में टंकण भूल हुई थी जिसके कारण **'शेष'** कालावधि के स्थान पर **'एक'** कालावधि दर्ज हो गया जिसके लिए विश्वविद्यालय के पत्रांक 2413 दिनांक 30.08.2014 द्वारा पूर्व में ही डा० मो० नवाज आलम, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा से खेद व्यक्त किया जा चुका है। इस प्रकार विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में ही टंकण भूल स्वीकार करते हुए माननीय सदस्य से खेद व्यक्त किया जा चुका है। अतः इसमें कोई जॉच कराये जाने की आवश्यकता महसूस नहीं की जा रही है।

ह०/–
सरकार के उप सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग, बिहार

ज्ञापांक 15/ए 4–46/2019 – 2725 पटना, दिनांक 22/11/19

प्रतिलिपि :– प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप संख्या 3383 दिनांक–16.11.2019 के प्रसंग में/संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–1 एवं आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग को निदेश दिया जाता है कि बिहार विधान सभा को प्रश्नोत्तर ऑन लाईन उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

सरकार के उप सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार